परिचालन मार्गदर्शिका

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

भारत सरकार

मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

जुलाई 2021

परिचालन दिशानिर्देश

1 परिचय

1.1 पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजना को लागू कर रही है। क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए एन0एल0एम0 योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुन: व्यवस्थित किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) की संशोधित योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार छत्र योजना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि को लक्षित करना है। अतिरिक्त उत्पादन से घरेलू मांगों की पूर्ती उपरांत निर्यात आय में मदद मिलेगी। एनएलएम योजना की अवधारणा असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उपज के लिए आगे और पीछे की कड़ी बनाने और संगठित क्षेत्र से जोड़ने के लिए उद्यमीयों को विकसित करना है।

1.2 एन0एल0एम0 को यहां वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार पूरे भारत में लागू किया जाएगा।

2. मिशन के उद्देश्य

2.1 एनएलएम के निम्नलिखित उद्देश्य है:

1. छोटे जुगाली करने वाले (small ruminants), कुक्कुट पालन और सूकर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन

2. नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि

3. मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि

4. चारा बीज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता के माध्यम से मांग को काफी हद तक कम करने के लिए चारे और फ़ीड की उपलब्धता बढ़ाना

5. मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना

6. किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना

7. मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, चारा और चारा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना

8. किसानों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ विस्तार मशीनरी के माध्यम से राज्य के पदाधिकारियों और पशुपालकों का क्षमता निर्माण।

9. उत्पादन लागत को कम करने और पशुधन क्षेत्र के उत्पादन में सुधार के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देना

3. मिशन डिजाइन

3.1 पुनरीक्षित राष्ट्रीय पशुधन मिशन में निम्नलिखित तीन उप-मिशन होंगे:

(ए) पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप-मिशन

(बी) फ़ीड और चारा विकास पर उप-मिशन

(सी) नवाचार और विस्तार पर उप मिशन

3.2.1. पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप-मिशन: कुक्कुट पालन, भेड़, बकरी और सूकर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी, धारा 8 कंपनियों और नस्ल सुधार हेतु बुनियादी ढांचे के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान देना का प्रस्ताव है।

3.2.2 चारा और चारा विकास पर उप-मिशन: इस उप-मिशन का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार के लिए चारा बीज श्रृंखला को मजबूत करना और प्रोत्साहन के माध्यम से चारा ब्लॉक / हे बेलिंग / साइलेज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

3.2.3 नवाचार और विस्तार पर उप-मिशन: इस उप-मिशन का उद्देश्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को भेड़, बकरी, सूकर और चारा और चारा क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान और विकास को, विस्तार गतिविधियों, पशुधन बीमा और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इस उप-मिशन के तहत, केंद्रीय एजेंसियों, आईसीएआर संस्थानों और विश्वविद्यालय के खेतों को क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, पशुपालन और योजनाओं के लिए प्रचार गतिविधियों सहित विस्तार सेवाओं, सेमिनार, सम्मेलनों, प्रदर्शन गतिविधियों और अन्य आईईसी जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियाँ। पशुधन बीमा और नवाचारों के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।

3.2.6. योजना का अधिकार क्षेत्र

यह योजना 2021-22 से पूरे भारत में लागू की जाएगी।

4. संस्थागत संरचना

4.1 अधिकार प्राप्त समिति (EC)

4.1.1 EC का गठन: सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। समिति के अन्य सदस्य वित्तीय सलाहकार, डीएएचडी, पशुपालन आयुक्त, डीएएचडी के संयुक्त सचिव और युक्तिपूर्वक चयनित राज्यों के प्रधान सचिव होंगे जो 5 क्षेत्रों (उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पूर्वी राज्यों) का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा लाइन मंत्रालय के प्रतिनिधी। अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य सचिव राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संयुक्त सचिव होंगे जो एनएलएम के मिशन निदेशक भी होंगे।

4.1.2 EC के कार्य: अधिकार प्राप्त समिति योजना की प्रगति की समग्र निगरानी, योजना दिशानिर्देशों के अनुमोदन, नीति निर्देश प्रदान करने और यदि कोई आवश्यक परिवर्तन (जैसे किसी घटक या गतिविधियों को हटाना, जोड़ना और संशोधित करना) को मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी होगी बिना के संबंध में कुल फंडिंग, आवंटन और फंडिंग पैटर्न में बदलाव किए बिना। समिति के पास, किसी विशेष गतिविधि से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के समय-समय पर मूल्य सूचकांक में बदलाव के कारण आवश्यक लागत मानदंडों को अद्यतन करने की शक्ति भी होगी गतिविधियों। EC आवश्यकतानुसार अन्य समितियों को भी अधिकार सौंप सकता है। ईसी के पास परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति को उत्तरदायित्व सौंपने का भी अधिकार होगा।

4.2 परियोजना अनुमोदन समिति (PAC):

4.2.1 PAC का गठन: राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस0एल0ई0सी0) से प्राप्त परियोजना सहित परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की अध्यक्षता में पीएसी की स्थापना की जाएगी। समिति में संबंधित राज्य सरकार के विभाग के निदेशक, वित्तीय सलाहकार के प्रतिनिधि, लाइन विभाग के अधिकारी, संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त या एनएलएम डिवीजन के उप सचिव शामिल होंगे। संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त या निदेशक पीएसी के सदस्य सचिव होंगे। ऐसी स्थिति में जहां पीएसी की बैठक संभव नहीं है, पीएसी के अध्यक्ष इस शर्त के साथ परियोजना को मंजूरी दे सकते हैं कि अगले पीएसी में परियोजना को मंजूरी दी जाएगी।

4.2.2 PAC के कार्य: पी0ए0सी0 परियोजना मूल्यांकन और निगरानी इकाई द्वारा मूल्यांकित और अनुदान जारी करने की सिफारिश किये गये एस0एल0ई0सी0 से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की उनकी व्यवहार्यता, सार्थक्ता की जांच करेगी। पी0ए0सी0 जमीनी स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी। पी0ए0सी0 को दिशा-निर्देशों में बदलाव का सुझाव देने का भी अधिकार होगा, जिसे अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

4.3 राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी):

4.3.1 एस0एल0ई0सी0 का गठन: राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस0एल0ई0सी0) की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों के राज्य पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी। एस0एल0ई0सी0 के संयोजक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक होंगे, जैसा लागू हो। समिति के अन्य सदस्यों में पशुपालन के निदेशक या आयुक्त, विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव, संबंधित जिले के अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक / जिला पशुपालन अधिकारी, जिनके प्रस्तावों पर विचार किया जाना है और कोई भी तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे. प्रासंगिक क्षेत्र।

4.3.2 एस0एल0ई0सी0 का कार्य: राज्य के पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी उद्यमिता प्रस्ताव सहित पात्र लाभार्थियों/एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ई0ओ0आई0) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। एसएलईसी अनुमोदन के लिए लाभार्थियों और राज्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की जांच करेगा और विशिष्ट योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यांश और लाभार्थी के अंशदान की उपलब्धता की पुष्टि करेगा और इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के एनएलएम डिवीजन को विचार और अनुमोदन के लिए।

4.3.3 मेंटरिंग ग्रुप: माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की अध्यक्षता में सरकारी क्षेत्र के सदस्यों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों / पेशेवरों, निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ छोटे जुगाली करने वालों (small ruminant sector) के क्षेत्र, सूकर पालन और चारी-चारा क्षेत्र में काम करने वाले पशुपालकों को सम्मिलित कर एक परामर्श समूह की स्थापना की जाएगी। यह समूह विभिन्न नवाचारों आदि योजना के कार्यान्वयन के लिए विभाग का मार्गदर्शन करेगा।

4.3.4 विशेषज्ञ समूह: पशुपालन आयुक्त (ए0एच0सी0) की अध्यक्षता में विभाग, आईसीएआर और संबंधित राज्यों के सदस्यों के साथ एक विशेषज्ञ समूह का गठन एनएलएम योजना के अनुसंधान और नवाचार घटकों के तहत परियोजना का मूल्यांकन करने के लिये किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह पात्र संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रस्तुत परियोजना की व्यवहार्यता, परियोजना की लागत और संगठन द्वारा प्रस्तावित तकनीकी पहलू और परियोजना के आर्थिक लाभ के संबंध में जांच करेगा। विशेषज्ञ समूह, परियोजना की जांच के बाद, अधिकार प्राप्त समिति के विचार के लिए अनुदान के लिए परियोजना की सिफारिश करेगा। विशेषज्ञ समूह आवश्यकता पड़ने पर समूह में विषय विशेषगज्ञों को भी सहयोजित करेगा।

5. कार्यान्वयन ढांचा

5.1. क्रियान्वयन एजेंसी:

राज्य पशुपालन विभाग के तहत स्थापित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लागू किया जाएगा। इस संबंध में, राज्य पशुपालन विभाग को अपनी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थापित करने या राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए पहले से स्थापित एजेंसी की पहचान करने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को डी0ए0एच0डी0 को सूचित करेगी। केंद्र का हिस्सा जहां भी पात्र होगा, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।

5.2 एन0एल0एम0 योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य:

- पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां या संबंधित राज्य सरकार के राज्य पशुपालन विभाग अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से उद्यमियों / पात्र संस्थाओं के नाम आमंत्रित करेंगे।

- उद्यमियों / पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच की जाएगी और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी अनुसूचित बैंकों या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन0सी0डी0सी0) आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से परियोजना के लिए शेष वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए उद्यमियों / पात्र संस्थाओं के आवेदन की सिफारिश करेगी। .
- एक बार परियोजना वित्तपोषण के उद्यमिता घटकों के लिए ऋण भाग के लिए प्रतिबद्धता प्राप्त हो जाती है तो इसे अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस0एल0ई0सी0) के समक्ष रखा जाना चाहिए। एस0एल0ई0सी0 द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद परियोजनाओं को एनएलएम के तहत आवेदन अपलोड करने के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उद्यमिता परियोजना के अलावा एन0एल0एम के तहत प्रस्ताव भी केंद्रांश प्राप्त करने के लिए भेजेगी।
- राज्य कार्यान्वयन एजेंसी उद्यमियों की परियोजनाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी और विभाग को उनकी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक आधार पर सूचित करेगी। उद्यमियों के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक और वित्तीय प्रगति विभाग को अर्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना है।

5.3 एन0एल0एम0 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यमियों/योग्य संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड

उद्यमी/योग्य संस्थाओं को उद्यमिता कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा यदि वे निम्नलिखित में से किसी एक मानदंड को पूरा करते हैं:

- उद्यमियों/योग्य संस्थाओं ने या तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है या उनके पास प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं या परियोजना के प्रबंधन और संचालन में प्रासंगिक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखते हैं या परियोजना के प्रबंधन और संचालन के संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव के साथ तकनीकी विशेषज्ञ हैं।
- उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण मिल गया है, बैंक द्वारा इसकी वैधता के लिए परियोजना के मूल्यांकन के साथ अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है जहां उनका खाता है।
- उद्यमियों/योग्य संस्थाओं के पास अपनी जमीन या पट्टे की जमीन होनी चाहिए जहां परियोजना की स्थापना की जाना है।
- उद्यमियों/योग्य संस्थाओं के पास केवाईसी के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज हैं।

5.4 योजना की निगरानी:

डेटा को बनाए रखने और ऑनलाइन निगरानी के लिए एमआईएस प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी। संपत्तियों की निगरानी जीआई टैगिंग के जरिए की जाएगी।

राष्ट्रीय समीक्षा बैठक, क्षेत्रीय समीक्षा बैठक और राज्य समीक्षा बैठक में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य को परिशिष्ट-। में संलग्न परिणाम-उत्पादन ढांचे के अनुसार प्रत्येक तिमाही में योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करनी होगी।

डी0ए0एच0डी0 योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी0एम0ए0) की स्थापना करेगा। पी0एम0ए0 निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा:

- लाभार्थी के प्रस्ताव का पता लगाने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता करना।
- लाभार्थी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान करने के लिए उसे संभालना
- योजना की आउटरीच शुरू करने के लिए
- लाभार्थी को निधि प्रवाह की निगरानी के लिए संबंधित बैंकों के साथ संपर्क बनाए रखना
- एमआईएस प्रणाली विकसित करने के लिए, और
- योजना के कार्यान्वयन के लिए डीएएचडी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

5.4.1 योजना निगरानी में पारदर्शिता: जमीनी स्तर पर योजना की बेहतर निगरानी के लिए, पंचायती राज संस्थाओं जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के सदस्यों और ब्लॉक स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पचायत को शामिल करते हुए राज्य निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पशु सखियों का उपयोग कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं और क्षेत्र में कार्यों की प्रतिक्रिया के लिए किया जाना चाहिए। नस्ल सुधार के लिए, संसाधनों की पहचान करने के लिए, पशु सखी को भी शामिल किया जा सकता है।

5.4.2 भौतिक प्रगति प्रतिवेदन: राज्य कार्यान्वयन एजेंसी उन परियोजनाओं के लिए परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार भौतिक प्रगति प्रतिवेदन तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगी जिसके लिए केंद्रांश जारी किया गया है।

5.4.3 वित्तीय प्रगति रिपोर्ट: वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन जीएफआर द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जीएफआर के निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

5.5 उद्यमिता कार्यक्रमों की परियोजना स्वीकृति:

- राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति के जवाब में उद्यमी/योग्य संस्थाएं एनएलएम पोर्टल के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत करेंगी।
- उद्यमियों/योग्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जांच की जाएगी और अनुसूचित बैंक या एनसीडीसी आदि जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए अनुशंसा की जाएगी।
- अनुशंसा के बाद, बैंक/ वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषण के लिए उस परियोजना पर विचार किया जाएगा।
- एक बार जब उद्यमी/योग्य संस्थाएं परियोजना की बैंक या वित्तीय संस्थान की मंजूरी प्राप्त कर लेती हैं, तो राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसे केंद्र सरकार को आवेदन की सिफारिश करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस0एल0ई0सी0) में रखेगी। एसएलईसी के अनुमोदन के बाद एस0आई0ए0 ऋण घटक की स्वीकृति अपलोड करने के साथ डी0ए0एच0डी0 पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार को आवेदन को प्रेषित करेगा।
- डीएएचडी परियोजना अनुमोदन समिति के माध्यम से परियोजना को अनुमोदित करेगा और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अनुदान राशि को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से ऋण देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों, जैसा भी हो, को अनुदान देगा जो लाभार्थियों को अनुदान जारी करेंगे।

5.6 केन्द्रीय एजेंसियों/विश्वविद्यालय फार्मों आदि द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति:

- संबंधित केंद्रीय एजेंसियां/विश्वविद्यालय फार्म अपने मूल संगठन/विभाग के माध्यम से एन0एल0एम0 डिविज़न को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मूल संगठन/विभाग को सहायता प्राप्त करने के लिए एन0एल0एम0 डिविज़न को अग्रेषित करने से पहले परियोजना का अनुमोदन और अनुशंसा करनी चाहिए।
- इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर, संयुक्त सचिव, एनएलएम की अध्यक्षता में स्थापित परियोजना अनुमोदन समिति (पी0ए0सी0) परियोजना की साध्यता और व्यवहार्यता के आधार पर परियोजना को अनुमोदन देगी।
- संबंधित केंद्रीय एजेंसियों/विश्वविद्यालय के फार्मों को हर तिमाही में एन0एल0एम0 डिवीजन को योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति को सूचित करना होगा।

5.7 नवाचार और अनुसंधान और विकास के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन: नवाचार और अनुसंधान और विकास के तहत जो संबंधित एजेंसी / विश्वविद्यालयों / आईसीएआर और अन्य विश्वसनीय संगठन द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का आकलन और मूल्यांकन विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा और वित्त पोषण के लिए विचार के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उसी की अनुशंसा की जाएगी।

5.8 योजना का वित्त पोषण और निधि प्रवाह

एन0एल0एम0 योजना में केंद्र प्रायोजित घटक और केंद्रीय क्षेत्र के घटक दोनों शामिल हैं। प्रत्येक घटक के लिए फंडिंग पैटर्न की व्याख्या की गई है। हालांकि, विशिष्ट घटकों के तहत वित्त पोषण के अलावा, विभाग राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को लाभार्थियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए प्रशासनिक लागत के लिए, जागरूकता निर्माण और लाभार्थियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने आदि के लिए वित्त पोषण भी प्रदान करेगा।

5.8.1 उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए निधि प्रवाह (केंद्रीय क्षेत्र घटक):

5.8.1.1 फंड चैनलाइजिंग एजेंसी: सभी सब्सिडी राशि को लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सब्सिडी के प्रबंधन, उधार देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों को सब्सिडी के हस्तांतरण के संबंध में सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा। पशुपालन और डेयरी विभाग उद्यमिता कार्यक्रम के लिए फंड चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में काम करने के लिए सिडबी को प्रशासनिक लागत प्रदान कर सकता है। सिडबी सभी सूचनाएँ प्रस्तुत करने और उन्हें हस्तांतरित निधियों के उपयोग के लिए भी उत्तरदायी होगा। विभाग सिडबी के साथ काम करने के लिए फंडिंग के तौर-तरीकों का फैसला करेगा।

5.8.1.2 उद्यमिता कार्यक्रम के लिए निधि प्रवाह तंत्र: उद्यमिता कार्यक्रम के संबंध में, सिडबी द्वारा ऋण देने वाले अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एन0सी0डी0सी0 आदि को लाभार्थियों के सब्सिडी खाते में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी घटक की प्राप्ति पर सिडबी, ऋण की पहली किस्त जारी होने के बाद उद्यमियों/योग्य संस्थाओं के उपयुक्त खाते में सब्सिडी की पहली किस्त जारी करेगा। सिडबी को सब्सिडी के लिए समर्पित खाता खोलने की जरूरत है और डी0ए0एच0डी0 को पीएफएमएस सिस्टम में मैपिंग के लिए सूचित करेगा। प्रत्येक उद्यमिता घटक के लिए सब्सिडी जारी करने के तरीके का उल्लेख किया गया है।

स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, बैक एंडेड सब्सिडी की पहली किस्त सिडबी द्वारा ऋण देने वाले अनुसूचित बैंक को प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। इस तरह की स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं की मंजूरी से पहले, बैंक द्वारा उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा जहां उद्यमियों/योग्य संस्थाओं का खाता है। सब्सिडी की पहली किस्त तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। सब्सिडी की शेष राशि परियोजना का समापन और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापिन के बाद प्रदान की जाएगी।

स्व-वित्तपोषण मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक लाभार्थियों को सहायता के लिए मांगी गई पूंजीगत सब्सिडी से अतिरिक्त परियोजना की शेष लागत के लिए अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी तीन साल के लिए वैध होगी और पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पक्ष में तैयार की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है।

5.8.2 केंद्र प्रायोजित घटकों के लिए निधि प्रवाह:

सबमिशन के तहत एन0एल0एम0 योजना के केंद्र प्रायोजित घटकों के लिए धन राज्य सरकार के आर0बी0आई0 खाते में जारी किया जाएगा। तत्पश्चात, राज्य सरकार को 21 दिनों के भीतर राज्य नोडल एजेंसी / राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के खाते में धनराशि स्थानांतरित करने और 40 दिनों के भीतर राज्य के हिस्से को जारी करना आवश्यक है। सी0एस0एस0 योजना के लिए निधि के प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रिया व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पालन किया जा सकता है। राज्य नोडल एजेंसी / राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को एन0एल0एम0 योजना के तहत धन प्राप्त करने और पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के साथ मैप करने के लिए एक समर्पित बैंक खाता खोलना आवश्यक है।

5.8.3 केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अन्य घटकों के लिए निधि प्रवाह:

केंद्र सरकार की एजेंसियों या राज्य सरकार की एजेंसियों या स्टार्ट अप आदि को एन0एल0एम0 योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए निधि प्रवाह व्यय विभाग और सामान्य वित्तीय नियमों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा।

5.9 उद्यमिता परियोजना के लिए आवेदन का तरीका: उद्यमिता परियोजना के लिए आवेदन और केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं को भी डी0ए0एच0डी0 द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंकों (सिडबी) के माध्यम से विकसित किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। तथापि, जब तक ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह से क्रियाशील नहीं हो जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन परिशिष्ट-v में संलग्न प्रारूप के अनुसार राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को मैन्युअल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

5.10 केंद्रीय क्षेत्र चारा बीज गुणन उप-घटकों के तहत परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण: केंद्र सरकार आई0सी0ए0आर0, राष्ट्रीय बीज निगम (एन0एस0सी0), भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), कृषक भारती सहकारी (कृभको), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAU), राज्य सरकार के बीज उत्पादन निगम, सार्वजनिक और निजी संगठन, डेयरी सहकारी समितियाँ और दूध संघ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और अच्छी विश्वसनीयता वाले अन्य संगठन द्वारा चारा बीज उत्पादन की सभी श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन देगी। ।

राज्यों में राज्य एजेंसियों/राज्य सरकारों/संस्थानों और केंद्रीय एजेंसियों के अलावा अन्य विश्वसनीय एजेंसियों के संबंध में आवेदन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों, जैसे- राज्य पशुधन विकास बोर्ड या राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए राज्य सरकार द्वारा पहचान की गई एजेंसियों के माध्यम से अपना आवेदन जमा करेंगे।

तथापी, डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध संघों के लिए आवेदनों के संबंध में, आवेदन एन0डी0डी0बी0 के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। एन0डी0डी0बी0, उन आवेदनों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें वित्त पोषण के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग को प्रस्तुत करेगा। डेयरी सहकारिता और दुग्ध संघ द्वारा चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध संघों को आगे जारी करने के लिए एनडीडीबी को दी जाएगी।

5.11 प्रदर्शन के लिए राज्यों की रैंकिंग: राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत कार्यक्रमों को लागू करने में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को रैंक करने का निर्णय लिया गया है। प्रदर्शन के लिए मापद्ण्ड निम्नानुसार होंगे:

क) उद्यमिता कार्यक्रम के तहत स्थापित इकाइयों की संख्या

ख) ऐसे उद्यमिता विकास के माध्यम से सृजित नौकरियों की संख्या

ग) उत्पादित चारा बीज की मात्रा और चारा उत्पादन में सुधार

घ) लाभान्वित किसानों की संख्या।

ई) बीमा कार्यक्रम के तहत बीमित पशुधन की संख्या।

च) नवोन्मेषी परियोजनाओं की संख्या को बढ़ावा दिया गया और वास्तव में कार्यान्वित किया गया।

छ) योजना के लिए किसानों और युवाओं में जागरूकता पैदा करना।

ज) विभाग द्वारा जारी निधियों का केंद्रीय अंश के रूप में समय पर उपयोग।

झ) परियोजना कार्यान्वयन समय

ञ) राज्य के हिस्से का समय पर विमोचन।

ट) राज्य में अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन में वृद्धि।

ठ) उद्यमिता कार्यक्रम के माध्यम से अच्छे जर्मप्लाज्म की उपलब्धता में वृद्धि

5.12 अप्रत्याशित घटनाएँ: मानव नियंत्रण से परे असाधारण घटनाएँ या परिस्थितियाँ जैसे कि ईश्वर के कार्य के रूप में वर्णित घटनाएँ (जैसे प्राकृतिक आपदा) या युद्ध, हड़ताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, दंगे, अपराध जैसी घटनाएँ (लेकिन इसमें लापरवाही या गलत काम शामिल नहीं है, पूर्वानुमेय/मौसमी बारिश और किसी भी अन्य घटनाओं को विशेष रूप से बाहर रखा गया)। ऐसे मामले में विभाग कानून के प्रावधान के अनुसार लाभार्थियों या संस्थानों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि के भाग्य की जांच करेगा।

5.13 अवशिष्ट

5.13.1 इक्विटी स्वामित्व में परिवर्तन या प्रमोटर संस्थाओं में परिवर्तन के कारण चयनित आवेदक के नियंत्रण में परिवर्तन के मामले में, डीएएचडी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

5.13.2 वित्तीय मामलों में किसी भी कदाचार को दूर करने के लिए जहां सरकार द्वारा लाभार्थियों को संवितरण किया जाता है, पारदर्शिता और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ एक निवारक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए, प्रक्रिया में शामिल संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और खरीद के मामले में एक सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों से संकेत लेते हुए, योजना के तहत आवेदकों से अंडरटेकिंग प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

5.13.3 उपक्रमों के दो प्रारूप परिशिष्ट-VIII और IX के रूप में संलग्न हैं। इन उपक्रमों को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित या एफपीओ/एफसीओ/जेएलजी/एसएचजी/अनुभाग 8 कंपनियों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकरण के साथ पदनाम दर्शाया गया है।

5.13.4 प्रोत्साहन के संवितरण के दावों को प्रस्तुत करने के बाद और किसी भी मामले में राशी जारी करने से पहले, अखंडता के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए परिशिष्ट-VIII में वचनबद्धता आवेदकों द्वारा प्रदान की जाएगी। जब तक उपर्युक्त उपक्रम प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक प्रोत्साहनों की स्वीकृति रोक दी जाएगी।

5.13.5 इन दिशानिर्देशों को योजना के जारी रहने के दौरान किसी भी समय संशोधित/परिवर्तित किया जा सकता है और इस तरह के संशोधन/परिवर्तन योजना के कार्यकाल के दौरान चयनित आवेदकों सहित सभी आवेदकों के लिए बाध्यकारी होंगे।

5.13.6 सभी आवेदकों को इस दिशा-निर्देश के साथ संलग्न परिशिष्ट-X के अनुसार परियोजना के संचालन के लिए जमानती बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे।

6. उप-मिशन तथा विस्तृत दिशानिर्देश

6.1 पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप-मिशन: इस उप-मिशन के तहत निम्नलिखित गतिविधियां की जाएंगी:

6.1.1 गतिविधि- I:- ग्रामीण कुक्कुट पालन के नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना।

क्रमांक	घटक का नाम	ग्रामीण पोल्ट्री नस्ल विकास के लिए उद्यमिता की स्थापना
01	उद्देश्य	i. असंगठित ग्रामीण कुक्कुट पालन क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना ii. ग्रामीण कुक्कुट पालन के क्षेत्र में स्थायी तरीके से उद्यमिता को बढ़ावा देना iii. फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना iv. विभिन्न वैकल्पिक गैर-पारंपरिक कम लागत वाले फीडिंग को लोकप्रिय बनाना
02	मुख्य विशेषताएं	पेरेंट फार्म, ग्रामीण हेचरी की स्थापना के लिए व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/फ्रेमर्स निर्माता संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को आमंत्रित करके उद्यमिता विकसित की जाएगी। हैचरी, ब्रूडर कम मदर यूनिट हैचिंग एग्स के उत्पादन के लिए, और चूजों और मदर यूनिट में चार सप्ताह तक उक्त चूजे का पालन-पोषण। उन उद्यमियों पर जोर दिया जाएगा जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (हब एंड स्पोक) स्थापित करने में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार न्यूनतम 1000 मूल परतों के साथ मूल फार्म, ग्रामीण हैचरी और मदर यूनिट की स्थापना के लिए परियोजना की लागत के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी। उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण से करनी होगी। पेरेंट फार्म में अनुरक्षित पक्षी लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स या इस तरह के पक्षी का होगा जो फ्री रेंज मैनेजमेंट सिस्टम जीवित रह सकेंगे। केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय और राज्य पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और अन्य निजी संगठन गारंटीकृत उत्पादन के प्रमाण पत्र के साथ उद्यमियों को पक्षियों की आपूर्ति करने के लिए पात्र होंगे। पक्षियों के लिए आवश्यक तकनीकी विनिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। कम इनपुट प्रौद्योगिकी वाले पक्षियों की सूची परिशिष्ट- V। में है। वित्त पोषण के लिए पात्र घटकों की सांकेतिक सूची अनुलग्नक । में है।
03	पात्र संस्थाएं	व्यक्तिगत / एसएचजी / एफपीओ / एफसीओ / जेएलजी और धारा 8कंपनियां।
०4	फंडिंग पैटर्न	कुल परियोजना लागत का एकमुश्त ५०% पूंजीगत अनुदान होगा किन्तु प्रत्येक इकाई के लिए 25 लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी प्रदान की जाएगी।सब्सिडी पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयनकर्ता द्वारा इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। एजेंसी। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाना चाहिए जहां उद्यमी/योग्य संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी को प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषण मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत से परे परियोजना की शेष लागत के लिए तीन साल के लिए वैध अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से

		प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न किया गया है। कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।
05	लागू करता प्राधिकरण	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और भारत सरकार के डीएएचडी
06	उप-मिशन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की आवश्यक आवश्यकताएं	उद्यमियों/योग्य संस्थाओं को भी ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा।
07	परियोजना का अनुवर्तन	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसके संचालन के संबंध में कार्य पूरा होने के बाद 2 साल की अवधि तक परियोजना का अनुवर्तन करेगी ।

गतिविधि II: छोटे जुगाली करने वाले क्षेत्र (Small Ruminant Sector) (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना:

क्रमांक सं.	घटक का नाम	**छोटे जुगाली करने वाले क्षेत्र (Small Ruminant Sector) (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना**
2.	उद्देश्य	i. छोटे जुगाली करने वाले क्षेत्र में उद्यमियों का विकास करना ii. भेड़-बकरी पर टिकाऊ व्यापार मॉडल विकसित करना iii. एकीकृत ग्रामीण भेड़-बकरी उत्पादन प्रणाली के विकास के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, एफपीओ, एफसीओ, एसएचजी, जेएलजी और धारा 8 कंपनियों को प्रोत्साहित करना। iv. उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देने और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के निर्माण के माध्यम से छोटे जुगाली करने वाले क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में बदलना v. वैज्ञानिक पालन पद्धतियों, पोषण, रोग निवारण आदि के बारे में जागरूकता फैलाना vi. भेड़ और बकरी पालन के स्टाल फीडिंग मॉडल को बढ़ावा देना।
3.	मुख्य विशेषता	1. व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/फ्रेमर्स निर्माता संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के माध्यम से उद्यमियों का निर्माण। 3. उद्यमी/योग्य संस्थाएं न्यूनतम 500 मादाओं और 25 नरों के साथ भेड़ और बकरी प्रजनन इकाई स्थापित कर सकती हैं। बकरी का दूध, मीट और बढ़िया ऊन गुणवत्ता के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली उच्च आनुवंशिक किस्म के साथ भेड़ और बकरी इकाई की स्थापना की जाएगी। भेड़ और बकरी की नस्ल का चयन इस दिशानिर्देश में दी गई सूची से या राज्य सरकार के परामर्श से किया जा सकता है। 4. केंद्र सरकार परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए 50% तक बैक एंडेड सब्सिडी प्रदान करेगी। 5. उद्यमियों/योग्य संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से करने की आवश्यकता है 6. उन घटकों की सांकेतिक सूची जिनके लिए सब्सिडी के लिए धन प्राप्त किया जा सकता है, अनुबंध II में है।
4.	सहायता का पैटर्न	५०% पूंजी सब्सिडी रु. दो किस्तों में 50 लाख। सब्सिडी पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। सब्सिडी पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किस्त जारी की जाएगी। परियोजना के पूरा होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करना और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाना चाहिए जहां उद्यमी/योग्य संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी को प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत से परे परियोजना की शेष लागत के लिए तीन साल के लिए वैध अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न किया गया है। कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी
5.	पात्र संस्थाएं	एफपीओ/एफसीओ/एसएचजी/जेएलजी/व्यक्ति/सेक्शन 8 कंपनियां

6.	लागू करता एजेंसियां	राज्य पशुपालन की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी विभाग, डीएएचडी, एमओएफएएचडी, भारत सरकार।
06	उप-मिशन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की आवश्यक आवश्यकताएं	उद्यमी/योग्य संस्थाएं भी ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करेंगी।
07	परियोजना का अनुवर्तन	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसके संचालन के संबंध में कार्य पूरा होने के बाद 2 साल की अवधि तक परियोजना का अनुवर्तन करेगी ।

गतिविधि- III भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

भेड़ और बकरी की नस्लों के आनुवंशिक सुधार के तहत गतिविधियाँ निम्नलिखित होंगी।

(i) भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और वीर्य बैंक की स्थापना

(ii) राज्यस्तरीय वीर्य बैंक की स्थापना

(iii) मौजूदा मवेशी और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रचार

(i v) विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आयात

(i) भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और वीर्य बैंक की स्थापना:

क्रमांक	घटक	भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और वीर्य बैंक की स्थापना
2.	उद्देश्य	i.चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से भेड़/बकरी की स्वदेशी वर्णनात्मक नस्लों का आनुवंशिक सुधार ii. उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च आनुवंशिक मेढ़ों या हिरन के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से गैर-वर्णित भेड़/बकरी नस्लों का आनुवंशिक उन्नयन। iii. कृत्रिम गर्भाधान और अन्य विकसित सहायक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रचार द्वारा भेड़ और बकरी की नस्लों के बीच नकारात्मक चयन और अंतःप्रजनन को कम करना।
3.	मुख्य विशेषता	इस गतिविधि के तहत केंद्र सरकार, बकरी के लिए हिमिकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और भेड़ के लिए तरल वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक रणनीतिक स्थान पर निकटवर्ती राज्यों में उत्कृष्ट पशुओं के वीर्य को उपयब्ध कराने के लिए, सहायता प्रदान करेगी। क्षेत्रीय वीर्य स्टेशन की यह स्थापना उक्त क्षेत्र के राज्यों से प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति पर आधारित होगी जो क्षेत्र में राज्यों के लिए वीर्य का उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है। साथ ही बकरी के हिमिकृत वीर्य के लिए क्षेत्रीय वीर्य केंद्र क्षेत्रीय वीर्य बैंक के रूप में कार्य करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने भेड़ और बकरी वीर्य प्रसंस्करण के लिए न्यूनतम मानक(MSP) विकसित किए हैं। प्रयोगशालाओं को परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय वीर्य प्रसंस्करण के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. एमएसपी में संरचना, भण्डारण की आवश्यक्ताएं, उपकरण आदि की आवश्यकताओं को विस्तृत किया गया है। इस प्रयोगशाला में उत्पादित वीर्य को पड़ोसी राज्यों में वितरित किया जाएगा।
4.	सहायता का पैटर्न	उत्तरपूर्वी क्षेत्रों (एनईआर) और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न 60:40 होगा, जहां यह 90:10 होगा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% होगा। वीर्य प्रयोगशाला के निर्माण, प्रजनन बकरों और मेढ़ों के रखरखाव, स्थानीय रूप से उपलब्ध उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले पशुओं की सोर्सिंग और वीर्य के प्रसंस्करण के लिए क्षेत्रीय वीर्य स्टेशन की स्थापना के लिए उपयुक्त संबंधित राज्य को केंद्रांश के रूप में रुपये 400.00 लाख तक एकमुश्त सहायता अनुदान प्रदान किए जाएंगे। पहली बार वीर्य के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों, दवाओं, रसायनों आदि की खरीद के लिए एकमुश्त व्यय के रूप में 30 लाख रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। वीर्य स्टेशन को चलाने के लिए क्षेत्रीय वीर्य बैंक को अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने होंगे। वीर्य स्टेशन के संचालन व्यय के लिए कोई आवर्ती व्यय प्रदान नहीं किया जाएगा।
5.	पात्र संस्थाएं	राज्य पशुधन एजेंसियां
6.	कार्यान्वयन एजेंसियां	राज्य पशुपालन की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, एमओएफएएचडी, भारत सरकार और राज्य पशुपालन विभाग

(i) राज्य सीमेन बैंक की स्थापना:

क्रमांक	उप घटक का नाम	राज्य वीर्य बैंक की स्थापना
2.	उद्देश्य	कृत्रिम गर्भाधान द्वारा श्रेष्ठ नर जननद्रव्य (मेल जर्मप्लास्म) के प्रसार द्वारा चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से भेड़/बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार
3.	मुख्य विशेषता	हिमिकृत वीर्य के माध्यम से बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भाधान प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए, एआई केंद्रों को बकरी के हिमिकृत वीर्य की आपूर्ति के लिए राज्य स्तर पर भंडारण डिपो की आवश्यकता होगी। मवेशियों और भैंसों के हिमिकृत वीर्य के भंडारण का काम करने वाला राज्य वीर्य बैंक बकरियों के लिए भी वीर्य बैंक का काम कर सकता है। अत: बकरियों के हिमिकृत वीर्य के भंडारण के लिए उपकरण एवं भंडारण कंटेनर उपलब्ध कराकर मौजूदा राज्य वीर्य बैंक को मजबूत करने के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
4.	सहायता का पैटर्न	बकरी के हिमिकृत वीर्य के भण्डारण एवं वितरण हेतु विद्यमान पशु एवं भैंस के वीर्य बैंक के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य को 10.00 लाख रुपये तक की राशि एकमुश्त सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी। उपकरणों. जैसे, क्रायो-कंटेनर और अन्य संबंधित उपकरण की खरीद के लिए यह सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय सहायता के माध्यम से होगी।
5.	पात्र संस्थाएं	राज्य पशुधन एजेंसियां, पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
6.	कार्यान्वयन एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, MoFAHD, भारत सरकार और राज्य पशुपालन विभाग

(iii) मौजूदा मवेशी और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रसार:

क्र. सं.	घटक का नाम	मौजूदा मवेशियों और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रसार
2.	उद्देश्य	भेड़/बकरी की नस्लों का कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से श्रेष्ठ नर जननद्रव्य के प्रसार द्वारा चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से आनुवंशिक सुधार
3.	मुख्य विशेषता	मवेशी और भैंस एआई केंद्रों के माध्यम से बकरी और भेड़ एआई करने के सुद्रीणीकरण के लिए आवश्यक उपकरण (बकरी एआई ट्रैविस, एआई गन, वेजाइनल स्पेकुलम, हेड लाइट) की आपूर्ति और पशु एआई कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
4.	सहायता का पैटर्न	प्रत्येक एआई केंद्र के लिए बकरी एआई क्रेट, एआई गन, योनि वीक्षक(वेजाइनल स्पेकुलम), हेड लाइट खरीददारी के लिए 7000/- रुपये तक एकमुश्त सहायता लागत साझा करने के आधार पर प्रदान की जाएगी जो एनईआर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जहां यह 90:10 होगा, सभी राज्यों के लिए @ 60:40 है।
5.	पात्र संस्थाएं	राज्य पशुधन एजेंसियां पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
6.	कार्यान्वयन एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, MoFAHD, भारत सरकार और राज्य पशुपालन विभाग

(iv) विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आयात

क्रमांक सं.	उप घटक का नाम	विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आयात
2.	उद्देश्य	उन्नत नर जर्मप्लाज्म के प्रसार द्वारा चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान से भेड़/बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार
3.	मुख्य विशेषता	गैर-वर्णित पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और ऊन, दूध और मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले क्रॉस नस्ल के जानवरों का उत्पादन करने के लिए केंद्र सरकार भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म के आवश्यकता आधारित आयात के लिए राज्यों की सहायता करेगी। बेहतर विदेशी नस्लों को राज्य सरकार के न्यूक्लियस फार्मों में शुद्ध नस्लों के रूप में रखा जाएगा। राज्य को जर्मप्लाज्म के आयात का प्रस्ताव भेजने से पहले अपनी प्रजनन नीति को अधिसूचित करने की आवश्यकता है।
4.	सहायता का	राज्य को एनईआर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 की दर से लागत साझा

	पैटर्न	करने के आधार पर जीवित जानवरों के रूप में भेड़ और बकरी जर्मप्लाज्म के आयात के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी जो कि 90 होगी। :10 और 100% केंद्र शासित प्रदेशों के लिए।
5.	पात्र संस्थाएं	राज्य पशुधन एजेंसियां राज्य पशुधन बोर्ड, पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
6.	लागू करने वाली एजेंसियां	राज्य पशुपालन की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां विभाग और राज्य पशुपालन विभाग

गतिविधि ।V: सूकर पालन उद्यमी को बढ़ावा देना

क्रमांक	गतिविधि का नाम	सूकर पालन उद्यमी का संवर्धन
1	उद्देश्य	उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना और अनुवांशिक उन्नयन के माध्यम से देश की सूकर आबादी की प्रति पशु उत्पादकता में सुधार के क्षेत्र में आगे और पीछे की कडियों का निर्माण, सूकर मांस में आयात निर्भरता को प्रतिस्थापित करना और सूकर मांस और सूअर मांस उत्पादों का निर्यात शुरू करना, वैज्ञानिक पालन प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाना, पोषण, रोगों की रोकथाम, आदि।
2	मुख्य विशेषता	व्यक्तिगत/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/फ्रेमर्स निर्माता संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के माध्यम से उद्यमियों का निर्माण। उद्यमी को केंद्र या राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के फार्मों या उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले स्थानीय किसानों से न्यूनतम 100 मादा और 25 नर सूकर प्रजनन वाले ब्रीडर फार्म की स्थापना से सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए 50% 30 लाख रुपये तक की पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी। यह राशी प्रजनन पशुओं की लागत, परिवहन और बीमा लागत, उपकरण / मशीनों के साथ आवास, के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। उद्यमियों/योग्य संस्थाओं को बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान से ऋण या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से शेष राशि की व्यवस्था करनी होगी। जमीन की खरीद, किराए और जमीन की लीज लागत, कार्यशील पूंजी, निजी वाहन के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
३	सहायता का पैटर्न	योजना के दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्येक इकाई के लिए कुल परियोजना लागत का ५०% पूंजीगत सब्सिडी रुपये 30 लाख तक की अधिकतम तक एकमुश्त प्रदान की जाएगी। सब्सिडी पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहां उद्यमी/योग्य संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत से परे परियोजना की शेष लागत के लिए तीन साल के लिए वैध अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न किया गया है।कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। वित्त पोषण के लिए पात्र उपकरणों की सांकेतिक सूची परिशिष्ट-।।। में है।

4	पात्र संस्थाएं	एफपीओ/एसएचजी/एफसीओ/जेएलजी/अनुभाग 8 कंपनियां/व्यक्ति
5	लागू करता एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, एमओएफएएचडी, भारत सरकार।
6	सबमिशन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की आवश्यकताएं	उद्यमी ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करेंगे
7	गतिविधि का अनुवर्तन पालन करें	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना की प्रगति का दो साल तक अनुवर्तन करेगी।

गतिविधि v: सूकर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

इस गतिविधि के तहत निम्नलिखित गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाएगा:

(i) सूकर के वीर्य संग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना

(ii) विदेशी सूकर जर्मप्लाज्म का आयात

(i) सूकर के वीर्य संग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना

क्रमांक	उप घटक का नाम	सूकर वीर्य संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना
1	उद्देश्य	i. कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के माध्यम से उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता के नर जर्मप्लाज्म (सूकर वीर्य) के प्रसार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि ii. इनब्रीडिंग कम करना iii. यौन संचारित रोगों को कम करना
2	मुख्य विशेषताएं	बड़े जुगाली करने वालों (लार्ज रूमिनेंट्स) के विपरीत, हिमिकृत वीर्य प्रौद्योगिकी सूकर के लिए सफल नहीं है। अतः सूकर में कृत्रिम गर्भाधान अधिकतर तरल वीर्य द्वारा किया जाता है। वीर्य को वैज्ञानिक और स्वच्छ तरीके से संसाधित किया जाता है, तो 60 प्रतिशत की सफलता दर प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में, तरल वीर्य के जीवन को लम्बा करने के लिए प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में बोने वाले उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सूअर के वीर्य को फैलाने के लिए, बड़ी संख्या में खुराक विकसित करने के लिए वीर्य को संसाधित करने की आवश्यकता होती है जो लंबी अवधि तक सक्रिय रहेगी। अतः सरकारी सूकर फार्म में कृत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तरल वराह वीर्य का उत्पादन करने के लिए वीर्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
3	सहायता का पैटर्न	एनईआर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जहां यह फंडिंग पैटर्न 90:10 होगा, अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40 होगा। । वीर्य प्रयोगशाला के निर्माण, प्रजनन सूकर इकाई के रखरखाव के लिए संबंधित राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 150.00 लाख रुपये तक एकमुश्त सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी। पहली बार वीर्य के प्रसंस्करण के लिए उपभोग्य वस्तुएं, दवाएं, रसायन आदि की खरीद के लिए एकमुश्त आवर्ती व्यय के रूप में रु. 30 लाख भी प्रदान किए जाएंगे।
4	पात्र निकाय	राज्य पशुधन एजेंसियां पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5	लागू करता एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां और राज्य पशुपालन विभाग

(ii) सूकर जर्मप्लाज्म का आयात

क्रमांक	घटक का नाम	विदेशी सूकर जर्मप्लाज्म का आयात
1.	उद्देश्य	उच्च प्रति पशु उत्पादकता वाले क्रॉसब्रेड पशुओं के उत्पादन के लिए स्वदेशी सूकरों के आनुवंशिक उन्नयन के लिए मौजूदा देशी जीनपूल में बेहतर नर जर्मप्लाज्म को शामिल करना
2.	मुख्य	गैर-वर्णित पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और प्रति पशु मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले क्रॉस

	विशेषता	नस्ल के पशुओं का उत्पादन करने के लिए केंद्र सरकार सूकर जर्मप्लाज्म के आवश्यकता आधारित आयात के लिए राज्यों की सहायता करेगी। बेहतर विदेशी नस्लों को राज्य सरकार के न्यूक्लियस फार्मों में शुद्ध नस्लों के रूप में रखा जाएगा। हालांकि, राज्य को जर्मप्लाज्म के आयात का प्रस्ताव भेजने से पहले सूकरों के लिए उनकी प्रजनन नीति तैयार करने और अधिसूचित करना आवश्य होगा
3.	सहायता का पैटर्न	एनईआर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जहां यह 90:10 होगा, सभी राज्यों के लिए लागत साझा करने के आधार पर 60:40 पर जीवित पशुओं के रूप में विदेशी सूकर जर्मप्लाज्म के आयात के लिए राज्य को एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
4.	लाभार्थी	राज्य पशुधन एजेंसियां राज्य पशुधन बोर्ड पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	लागू करता एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां।

चारी और चारा विकास पर उप-मिशन

चारा और चारे के उप-मिशन में निम्नलिखित गतिविधियां होंगी:

गतिविधि (i): गुणवत्ता चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता

गतिविधि (ii): चारा और चारे में उद्यमी गतिविधियाँ

गतिविधि I: गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता

क्रमांक	गतिविधि का नाम	गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता
1.	उद्देश्य	i. प्रभावी बीज उत्पादन श्रृंखला की स्थापना ii. चारा उत्पादन, संरक्षण और उपयोग में राज्य के पदाधिकारियों और पशुधन मालिकों की क्षमता निर्माण iii. चारा संसाधन विकास के लिए चल रहे योजना कार्यक्रमों और हितधारकों के बीच अभिसरण और तालमेल स्थापित करना।
2.	मुख्य विशेषता	इस गतिविधि के तहत चारा बीज श्रृंखला यानी ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित गुणवत्ता वाले चारा बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह घटक उच्च उपज देने वाले चारे की किस्मों के बीजों के गुणन की ओर लक्षित है, बेहतर प्रदर्शन कर रहे है, जिसे अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से विकसित किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
3.	सहायता का पैटर्न	आईसीएआर, राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAU), हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (HIL), राज्य सरकार के बीज उत्पादन निगम, सार्वजनिक और निजी संगठन, डेयरी सहकारी समितियाँ और दुग्ध संघ और अन्य अच्छी विश्वसनीयता वाले संगठनों द्वारा चारा बीज उत्पादन की सभी श्रेणियों के उत्पादन के लिए 100% प्रोत्साहन। बीज उत्पादन प्रोत्साहन राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), आईसीएआर, आईएफएफसी, कृभको, नेफेड, एचआईएल, एनडीडीबी आदि जैसी केंद्रीय बीज एजेंसियों को सीधे और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को राज्य बीज उत्पादक एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों के लिए दिया जाएगा। हालांकि, डेयरी सहकारिता और दुग्ध संघों के लिए सहायता एनडीडीबी के माध्यम से दी जाएगी। प्रति किलो बीज की लागत के आधार पर दो किस्तों में सहायता प्रदान की जाएगी। व्यवहार्य प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद पहली किस्त प्रदान की जाएगी। दूसरी किस्त बीज के उत्पादन एवं संबंधित लाभार्थी एजेंसी द्वारा स्व-प्रमाणन के बाद प्रदान की जाएगी। विभिन्न श्रेणी के बीजों के उत्पादन के लिए सहायता की जाने वाली लागत निम्नानुसार है: 250 रुपये/किलोग्राम तक का ब्रीडर बीज, 150 रुपये/किलोग्राम तक फाउंडेशन बीज, प्रमाणित बीज रु. १००/किग्रा; जब किसानों को बीज उत्पादक एजेंसियों द्वारा चारा बीज उत्पादन गतिविधि में लगाया जाता है, तो किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का 75% और प्रमाणीकरण लागत सहित खर्च को पूरा करने के लिए 25% को बीज उत्पादक एजेंसी द्वारा रखा जाना चाहिए।
4.	पात्र संस्था	आईसीएआर संस्थान/एनएससी/नैफेड/कृभको/इफको/केंद्रीय बहु-राज्य सहकारी समितियां जैसे एनसीसीएफ/हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (एचआईएल), एनडीडीबी, डेयरी सहकारी समितियां, दुग्ध संघ या राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसी, केन्द्रीय स्तर पर इन एजेंसियों के लिए अनुमोदित योजना। राज्य सरकार के बीज उत्पादन निगम, सार्वजनिक और अच्छे विश्वसनीयता के निजी और अन्य संगठन।
5.	आवेदन पत्र	एजेंसी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन परिशिष्ट II में दिये अनुसार विवरण भर कर आवेदन करेगी। पात्र संस्था दूसरी सहायता मांगने पर बीज का अंतिम उत्पादन भी प्रस्तुत करेंगी।
6.	गतिविधि का अनुवर्तन	एजेंसी परिशिष्ट- III में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट भेजेगी

गतिविधि II: चारी और चारे में उद्यमिता गतिविधियाँ

मिशन का उद्देश्य:

i. चारा और चारा के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास।
ii. फ्रंटलाइन प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के माध्यम से चारा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका प्रसार करना।
iii. स्थानीय स्तर पर सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराना।
iv. इन उद्यमियों को आपूर्ति करने के लिए स्थानीय किसानों द्वारा चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार चारे का उपयोग नकदी फसल के रूप में करें।

गतिविधि का विवरण इस प्रकार है:

चारी-चारे में उद्यमशीलता की गतिविधियाँ

क्रमांक	गतिविधि का नाम	चरी-चारे में उद्यमिता गतिविधियाँ
1.	मुख्य विशेषता	निजी उद्यमियों, एसएचजी, एफसीओ जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियों, खंड 8 कंपनियों को मूल्यवर्धन जैसे कि घास / सिलेज / सकल मिश्रित राशन (टीएमआर) / चारा ब्लॉक और चारे का भंडारण इकाई बनाने वाली इकाइयों के लिए के लिए, ग्राम स्तर पर घास/सिलेज से संबंधित आधारभूत संरचना विकास/बेलर, ब्लॉक बनाने की मशीन, टीएमआर मशीन/उपकरण, चारा हार्वेस्टर / रीपर, हैवी ड्यूटी पावर ऑपरेटेड चैफ कटर और आवश्यकता / आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य पीएचटी उपकरण जैसी मशीनरी की खरीद के लिए के लिए परियोजना लागत का 50% प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यमियों/योग्य संस्थाओं को बैंक ऋण के माध्यम से या एनसीडीसी या स्व-वित्त जैसे वित्तीय संस्थान से शेष राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की शेष राशि के वित्तपोषण के लिए पात्र संस्थाएं पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) के तहत लाभ उठा सकती हैं। वित्त पोषण के लिए पात्र उपकरणों की सांकेतिक सूची अनुबंध IV पर है
2.	सहायता का पैटर्न	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 50% 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी के राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से दो समान किश्तों में प्रदान किए जाएंगे। सब्सिडी पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाना चाहिए जहां उद्यमी/पात्र संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी को प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत से परे परियोजना की शेष लागत के लिए तीन साल के लिए वैध अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है। कार्यशील पूंजी, व्यक्तिगत कार की खरीद, भूमि, निवास स्थान भूमि और कार्यालय के पट्टे और किराए के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।
3.	पात्र संस्था	निजी उद्यमी, एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी संस्थाएं, धारा 8 कंपनियां

4.	कार्यान्वयन एजेंसियां	i) डीएएचडी, भारत सरकार ii) राज्य पशुपालन विभाग iii) राज्य पशुधन एजेंसियां/राज्य पशुधन बोर्ड
5.	पात्रता मानदंड	उद्यमी ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करेंगे
6.	परियोजना का अनुवर्तन	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना के कार्यान्वयन के बाद इसके संचालन के संबंध में 2 साल तक इसका अनुवर्तन करेगी।

नवाचार और विस्तार पर उप मिशन

मिशन का उद्देश्य:

क) भेड़, बकरी, सूकर , मुर्गी पालन, अन्य पशुधन, चारा क्षेत्र, मांस और अन्य पशुधन उत्पादों से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना।

ख) पशुधन क्षेत्र में हो रही विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए विस्तार गतिविधियों को अंजाम देना।

ग) पशुधन बीमा का कार्य करना

घ) इस क्षेत्र के लिए नवाचार लाने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करें।

इस उप-मिशन में निम्नलिखित गतिविधियाँ हैं:

(i) गतिविधि I: अनुसंधान और विकास और नवाचार

(ii) गतिविधि II: विस्तार गतिविधियाँ

(iii) गतिविधि III: पशुधन बीमा

गतिविधि I: अनुसंधान और विकास और नवाचार

क्रमांक	अवयव	अनुसंधान और विकास और नवाचार
1	उद्देश्य	(i) भेड़, बकरी, सूकर , मुर्गी पालन, अन्य पशुधन, चारा क्षेत्र, मांस और अन्य पशुधन उत्पादों की उन्नति के लिए अनुसंधान गतिविधियों और नवाचारों को प्रोत्साहित करना।(ii) पशुपालकों के सामने आने वाली अंतर्निहित समस्याओं का समाधान करने के लिए (iii) स्थायी पशुधन खेती में योगदान करने के लिए (iv) अभिनव परियोजनाओं और गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए
2	मुख्य विशेषताएं	भेड़, बकरी, मुर्गी, सूकर और चारा और चारा क्षेत्र में अनुसंधान में शामिल आईसीएआर, केंद्रीय संस्थानों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के फार्म और अन्य विश्वसनीय संस्थानों को अनुसंधान और विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। क्षेत्र के विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए नवीन गतिविधियों के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। भेड़, बकरी, मुर्गी पालन, सूकर , चारा और चारे में समस्या समाधान के लिए स्टार्ट-अप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग एक स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम आयोजित करेगा। संबंधित केंद्रीय एजेंसियां/विश्वविद्यालय फार्म अपने मूल संगठन/राज्य पशुपालन विभाग के माध्यम से विभाग के एनएलएम प्रभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मूल संगठन/विभाग को परियोजना को अग्रेषित करने से पहले अनुमोदन और अनुशंसा करना होगी। नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत और अन्य संगठनों को संबंधित राज्य पशुपालन से परियोजना को अनुमोदित करने और एसएलईसी के माध्यम से अग्रेषित करने की आवश्यकता है। संबंधित एजेंसी/विश्वविद्यालयों/आईसीएआर और अन्य विश्वसनीय संगठनों

		द्वारा प्रस्तुत नवाचार और अनुसंधान और विकास के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन और मूल्यांकन विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वित्त पोषण के लिए विचार करने के लिए इसकी अनुशंसा की जाएगी। सहायता लेने के लिए अभिप्रेत संस्थान परिशिष्ट IV के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे
3.	वित्त पोषण पैटर्न	केंद्र सरकार विस्तार, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार गतिविधियों के संचालन के लिए 100% सहायता प्रदान करेगी।
4	पात्र संस्था	आईसीएआर, केंद्रीय संस्थान, राज्य सरकार विश्वविद्यालय फार्म और अन्य विश्वसनीय संस्थान और स्टार्ट अप।
5	लागू करता एजेंसी	पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार
6.	अनुवर्ती कार्रवाई	एजेंसी कम से कम प्रत्येक तिमाही में परियोजना के आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

गतिविधि II: विस्तार गतिविधियाँ

क्रमांक	अवयव	विस्तार गतिविधियां
01	उद्देश्य	उपलब्ध विस्तार मंच के माध्यम से वैज्ञानिक पशुधन पालन के संबंध में पशुपालन क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना
०२	मुख्य विशेषताएं	इस गतिविधि के तहत राज्य, केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर आईईसी गतिविधियों, जैसे- सेमिनार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पशुधन किसान समूह/ब्रीडर एसोसिएशन, पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रचार गतिविधियों के संगठन, योजना प्रचार आदि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। किसान फील्ड स्कूलों का संचालन, पशुधन विस्तार सुविधाकर्ताओं (एलईएफ) के लिए एक्सपोजर विजिट, किसानों की एक्सपोजर विजिट, पशुधन विस्तार के कर्मचारी घटक, प्रदर्शन गतिविधियां, सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, विस्तार शिक्षा और पशुधन विस्तार पर साहित्य का निर्माण, आदि। ऑडियो-विजुअल एड्स (टीवी और रेडियो शो और वार्ता), सोशल मीडिया, होर्डिंग्स, पैनल, कियोस्क, मुद्रित सामग्री आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से सूचना का प्रसार किया जा सकता है। पशुधन विस्तार पर वीडियो और मल्टीमीडिया पैकेज तैयार करने और विकसित करने में विभिन्न विस्तार एजेंसियों की सहायता की जाएगी। इसके अलावा, पशुधन क्षेत्र पर सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास और प्रलेखन के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार उत्पादित सामग्री को पशुपालन क्षेत्र में शामिल सभी एजेंसियों के माध्यम से व्यापक रूप से वितरित किया जाएगा। क्षमता निर्माण के लिए गोपाल मित्र, प्राणिबंधु, ग्राम विस्तार कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन, प्रगतिशील किसान आदि सहित कृषि और संबद्ध विभागों में क्षेत्र स्तर पर कार्यरत मौजूदा मानव संसाधन को भी शामिल किया जाएगा। इस गतिविधि के तहत सहायता लेने के लिए अभिप्रेत एजेंसियों को परिशिष्ट v के प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
०३	फंडिंग पैटर्न	• ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रचार, ज्ञान के प्रसार और संबंधित गतिविधियों के आयोजन के लिए, प्रत्येक ब्लॉक, जिला और राज्य के लिए क्रमश: एक लाख, दो लाख और तीन लाख रुपये तक की सहायता निधि की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रदान की जाएगी। एनईआर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जहां यह 90:10 होगा, सभी राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न 60:40 होगा । • क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर पर पशुपालन पशुओं को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रचार, ज्ञान के प्रसार और संबंधित गतिविधियों के आयोजन के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी। • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए उद्यमिता, कुक्कुट प्रबंधन, वैज्ञानिक कुक्कुट उत्पादन, भेड़ बकरी और सूकर के वैज्ञानिक पालन, भेड़ और बकरी और सूकर के लिए कृत्रिम गर्भाधान प्रौद्योगिकी, चरी-चारा विकास के प्रशिक्षण के लिए 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। • आईईसी गतिविधियों के लिए पोस्टर, पैम्फलेट, प्रकाशन और ऑडियो-विजुअल मीडिया के प्रकाशन के लिए राज्य पशुपालन विभाग को वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। • केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और पशुपालन विकास पर जागरूकता पैदा करने से संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों और पशुपालन और डेयरी विभाग को 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।
04	लाभार्थी	राज्य पशुपालन विभाग और डीएएचडी, भारत सरकार।
05	लागू करता एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग, डीएएचडी, भारत सरकार।

गतिविधि III: पशुधन बीमा

<table>
<tr><td>क्रमांक</td><td>अवयव</td><td>पशुधन बीमा</td></tr>
<tr><td>01</td><td>उद्देश्य</td><td>किसानों को मृत्यु के कारण उनके पशुओं के किसी भी संभावित नुकसान के खिलाफ सुरक्षा तंत्र प्रदान करके जीवन जोखिम और अनिश्चितताओं का प्रबंधन करना और लोगों को पशुधन के बीमा के लाभ को प्रदर्शित करना।</td></tr>
<tr><td>02</td><td>मुख्य विशेषताएं</td><td>जोखिम प्रबंधन और बीमा भविष्य में बनाए गए जिलों, यदि कोई हो, सहित देश के सभी जिलों में लागू किया जाना है। देशी/क्रॉसब्रेड दुधारू पशु, बोझा ढोने वाले(घोड़े, गधा, खच्चर, ऊंट, टट्टू और मवेशी/भैंस नर), और अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक और मिथुन आदि) इस घटक के दायरे में होंगे। सभी पशुओं के लिए सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार प्रति लाभार्थी 5 पशुओं तक सीमित रहेगा, भेड़, बकरी, सूकर और खरगोश के लिये लाभ 5 मवेशी इकाइयों (1 मवेशी इकाई = 10 भेड़/बकरी/सूकर /खरगोश) तक सीमित होगा। इसलिए भेड़, बकरी, सूकर और खरगोश को सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार प्रति लाभार्थी 5 मवेशी यूनिट तक सीमित किया जाना है। हालांकि, 5 से कम पशु / 1 मवेशी इकाई वाले लाभार्थी भी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सभी बड़े और छोटे पशुओं को बीमा के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा। जोखिम प्रबंधन और बीमा घटक में अनुदान सहायता के रूप में केंद्रीय निधियों से निम्नलिखित भुगतानों की परिकल्पना की गई है:</td></tr>
<tr><td>०३</td><td>फंडिंग पैटर्न</td><td>(ए) बीमा प्रीमियम के लिए सब्सिडी का भुगतान निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा:
सामान्य क्षेत्र
<table>
<tr><td>श्रेणी</td><td>केंद्रीय शेयर</td><td>राज्य का हिस्सा</td><td>लाभार्थी का हिस्सा</td></tr>
<tr><td>बीपीएल / एससी / एसटी</td><td>40%</td><td>30%</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>एपीएल</td><td>25%</td><td>25%</td><td>50%</td></tr>
</table>
उत्तर पूर्व क्षेत्र / हिमालयन राज्य
<table>
<tr><td>श्रेणी</td><td>केंद्रीय शेयर</td><td>राज्य शेयर</td><td>लाभार्थी शेयर</td></tr>
<tr><td>बीपीएल/एससी/एसटी</td><td>50%</td><td>30%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>एपीएल</td><td>35%</td><td>25%</td><td>40%</td></tr>
</table>
केंद्र शासित प्रदेश
<table>
<tr><td>श्रेणी</td><td>केंद्रीय हिस्सा</td><td>राज्य का हिस्सा</td><td>लाभार्थी का हिस्सा</td></tr>
<tr><td>बीपीएल / एससी / एसटी</td><td>80%</td><td>शून्य</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>एपीएल</td><td>60%</td><td>शून्य</td><td>40%</td></tr>
</table>
(बी) पशु चिकित्सा चिकित्सकों को मानदेय का 100% भुगतान और
(सी) 100% प्रचार
हालांकि, एक लाभार्थी भेड़, बकरी, सूकर और खरगोश को छोड़कर सभी जानवरों के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त किए बिना पूर्ण प्रीमियम का भुगतान करके 5 से अधिक जानवरों का बीमा करा सकता है। इसी तरह, एक लाभार्थी भेड़, बकरी, सूकर और खरगोश के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त किए बिना पूर्ण प्रीमियम का भुगतान करके 5 से अधिक 'पशु इकाई' का बीमा करा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, 'परिवार' को उसी तर्ज पर परिभाषित किया जाएगा जैसा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत अपनाया गया था, जिसे बाद में संक्षिप्तता के लिए मनरेगा के रूप में संदर्भित किया गया है। एक वर्ष के बजाय कम से कम तीन वर्ष के लिए पशुओं का बीमा कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>04</td><td>लाभार्थी</td><td>राज्य पशुपालन विभाग। तथापि, इन सोसायटियों/संघों के सदस्यों के पशुओं को एक समूह के रूप में सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत दुग्ध समितियों/संघों को संबद्ध और शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। बीमा कंपनियों को इन सोसायटियों/संघों को प्रीमियम की दर के संबंध में कुछ और रियायतें देने के लिए भी राजी किया जाएगा क्योंकि अन्यथा उनके एजेंटों का काम कम हो जाएगा।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>05</td><td>प्रीमियम की दर</td><td><table>
<tr><td rowspan="2">एक वर्ष</td><td>(सामान्य क्षेत्र)</td><td>4.5%</td></tr>
<tr><td>एनईआर/हिमालयी राज्य</td><td>5.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">दो साल</td><td>(सामान्य क्षेत्र)</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>एनईआर/हिमालयी राज्य</td><td>9%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">तीन साल</td><td>(सामान्य क्षेत्र)</td><td>11%</td></tr>
<tr><td>एनईआर/हिमालयी राज्य</td><td>11.5%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>06</td><td>कार्यान्वयन एजेंसियां</td><td>राज्य पशुपालन विभाग और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां</td></tr>
<tr><td>07</td><td>बीमा कंपनियों का चयन</td><td>बीमा कंपनियों के चयन, बीमा, दावे के निपटान के लिए, कार्यान्वयन एजेंसी परिशिष्ट VI . के अनुसार दिशानिर्देशों का पालन कर सकती है</td></tr>
</table>

परिशिष्ट और अनुलग्नक

APPENDICES AND ANNEXURES

APPENDIX- I

<table>
<tr><th colspan="6">REPORTING OF OUT PUT AND OUT COME FOR NATIONAL LIVESTOCK MISSION (SEE PARA 5.4)</th></tr>
<tr><th colspan="3">OUTPUTS (Year)</th><th colspan="3">OUTCOME (Year)</th></tr>
<tr><th>Output</th><th>Indicators</th><th>Targets</th><th>Outcome</th><th>Indicators</th><th>Targets</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1. Poultry entrepreneurship development</td><td>1.1 Number of units established</td><td></td><td>1. Improved employment opportunities in livestock</td><td>1.1 No. of jobs created</td><td></td></tr>
<tr><td>1.2 Total Number of beneficiaries supported</td><td></td><td rowspan="2">2. Creation of backward and forward linkages</td><td rowspan="2">2.1 Number of farmers linked</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. Sheep and goat entrepreneurship development</td><td rowspan="2">2.1. Number of units established</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>3. Increased employment opportunities</td><td>3.1 Number of farmers linked</td><td></td></tr>
<tr><td>2.2. Total Number of beneficiaries supported</td><td></td><td rowspan="2">4. Creation of backward and forward linkages</td><td rowspan="2">4.1 No. of jobs created</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3. Piggery entrepreneurship development</td><td rowspan="2">3.1 Number of units established</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>5. Improved employment opportunities in livestock</td><td>5.1.Number of farmers linked</td><td></td></tr>
<tr><td>3.2 Total Number of beneficiaries supported</td><td></td><td rowspan="2">6. Creation of backward and forward linkages</td><td rowspan="2">6.1 No. of jobs created</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>4. Genetic Up-gradation of Sheep and Goat</td><td>4.1 Total No of regional semen stations established</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>7. Breed Improvement in Sheep and Goat</td><td>7.1 No of Semen doses</td><td></td></tr>
</table>

				produced(In Lakh)	
	4.2 Total number of semen banks established			7.2 No. of Artificial Insemination performed.	
	4.3 Total number of existing Artificial Insemination Centres equipped with goat AI.		8. Increased productivity	8.1 No of cross bred animals produced.	
	4.4 Total number of animals imported				
5. Genetic Up-gradation of Pig breeds	5.1 Total number of Pig semen stations established		9. Breed Improvement in pig	9.1 No of Pig Artificial Insemination done.	
				9.2 No. of piglets produced through AI.	
6. Assistance for production of fodder seed	6.1 Quantity of fodder seed produced		10. Greater fodder Production	Quantity of fodder produced	
7. Assistance for establishing fodder entrepreneur s	Total number of Fodder Entrepreneurs supported (in numbers)		11.Enrich fodder production by the entrepreneurs	11.1 Quantity of Silage (in Ton)	
	7.1. Total number of Silage plants established			11.2 Quantity of Fodder	

	7.2 Total number of Fodder Block units established/ TMR			Block (in Ton) / TMR	
8. Skill development, technology transfer and extension	8.1 Number of IEC Campaign		12. Enhanced skill pool of farmers vets / para vet	12.1 Number of farmers/ vets/ paravets skilled	
	8.2 Number of capacity building workshops/training conducted				

Note: The target to be indicated for each quarter against both the outcome and output as well as for entire financial year

The reporting of Outcome and Output frame work to be done on quarterly basis

APPENDIX- II

Application format for component Assistance for Fodder seed Production

Sl. No	Components	Detailed
1.	Name of the State	
2.	Name of the Agency	
3.	Status of the agency.(Central/State/Public/Private/Autonomous/Others/)	
4.	Season proposed for fodder seed production	
5.	Name of the fodder seed and Class of fodder seeds proposed for fodder seed production (Breeder/ Foundation / Certified)	
6.	Locations of seed production programme to be undertaken (Area and crop wise)	
7.	Indicate the region proposed is being identified for the fodder seed production. Please furnish details of fodder seed production undertaken in the region during the last three year Availability of irrigation /source of irrigation.	
8.	Source of procurement of parent seeds proposed for fodder seed production	
9.	Please indicate details of assistance undertaken from Central/State Govt. scheme during the last three financial year including the current year	
10.	Five-year action Plan prepared for fodder seed production	
11.	This is to certify that the agency will follow the Government of India financial rules and regulations and also any agreement entered with the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India.	

Signature of Competent Authority of the Agency

Recommending Authority.

Indicative target plan for Assistance for Fodder seed production to be appended with APPENDIX- II

Name of the State/Implementing Agency (IA): **Season:** **Year:**

Sl. No.	**Fodder seed production**	**Class of Seeds Breeder/Foundation/Certified**	**Target quantity (quintal)**	**Target proposed By State/IA**		**Target approved By GOI**	
				Physical	Financial	Physical	Financial
		Breeder					
	i) Maize						
	ii) Sorghum						
		Foundation					
	i) Maize						
	ii) Sorghum						
		Certified					
	i) Maize						
	ii) Sorghum						

Note: The names of fodder seeds are indicative only not exhaustive. The DAHD will issue the exhaustive list of fodder seed as per need.

APPENDIX -III

Format for Quarterly/Annual Progress Report for Assistance for Fodder seed production

Name of the State/Implementing Agency (IA): Season: Year:

S.N.	**Interventions**	**Class of Seeds Breeder /Foundation / Certified**	**Target of seed production approved by GOI (Quintal)**	**Achievements for QI/II/III**		**Achievement till 31st March**	
	Fodder seed production			Physical	Financial	Physical	Financial
		Breeder					
	i.Maize						
	ii.Sorghum						
		Foundation					
	i.Maize						
	iiSorghum						
		Certified					
	i.Maize						
	ii.Sorghum						

APPENDIX -IV

Sub-mission: Research and Development, Extension and Innovation

Format for submitting proposal under the component Research and Development and Innovations

1.	Name of the institute / Organization:
2.	Name of the Department
3.	Title of the Research problem/project
4.	Rationale of the project
5.	Present status of the proposed project (with references)
6.	Brief Methodology of the project
7.	Duration of the project (months)
8.	Expected outcome (Contributions to livestock sector)
9.	Financial implications: (Detailed break up of recurring and nonrecurring expenditure)
10.	A concrete plan for propagating the outcome of the project to the farmers:
11.	Any other relevant information related to the proposal:
12.	Name and signature of the Supervisors and Co supervisors:
13.	Name and signature of the Head of the Institute

Certified that the Organization shall submit utilization certificate and progress report of the project to the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India.

Signature of the Project Instructor / coordinator

Recommending Authority

APPENDIX- V

Form for submitting proposal under the component of IEC support for extension activities

1.	Name of the agency / Organization / Department:
	a) Address:
	b) Telephone No. and Fax No.:
	c) Email ID of the HOD:
2.	Present status of requirement and availability of Information support,
3.	Present statistics of Information support:
	i) State :
	ii) With the implementing agency:
4.	Location and addresses of Extension Centres already developed, if any under the scheme and, proposed to be developed (Full details must be provided).
5.	Nature of IEC Campaign/ Extension activities along with the extension plan
6.	Name and signature of the Head of the Animal Husbandry Department:

APPENDIX- VI

GUIDELINES FOR SELECTION OF INSURANCE COMPANY, INSURING THE ANIMALS AND CLAIM SETTLEMENT

1. Engagement of Insurance Company:

In order to get the maximum benefit in terms of competitive premium rates, easier procedures of issue of policy and settlement of claims, Chief Executive Officer (CEO) of the State Implementation Agency will be empowered to decide upon the Insurance company(s) and the terms and conditions. While selecting Insurance Company, besides premium rates offered, their capacity to provide services, terms and conditions and service efficiency on objective criteria should also be taken into account. The CEO will invite quotations in writing from those public and private general insurance companies having a network in the State/UTs or a considerable part of the State/UTs. Only one tender should be floated for the whole State/UTs considering state as a unit. The tender may comprise of 3 or more items defining the type of geographical area for which separate premium rates may be quoted by the insurance company/agencies. A tender committee would be constituted by the State/UTs Government in which one representative to be nominated by the Joint Secretary, DADF; GoI would be there who is responsible for implementing the 'Risk Management & Insurance' as a component of sub-mission on livestock development of NLM in GoI.

Under no circumstances, the rate of premium should exceed 4.5% in Normal Area, 5.5% in NER/ Himalayan States for annual policies, 8% in Normal Area, 9% in NER/ NER/ Himalayan States for two-year policies and 11% in Normal Area, 11.5% in NER/ NER/ Himalayan States for three year policies.

Normally, a single insurance company should be entrusted for insurance work in States/UTs for a particular type of area and if more than one company bids are the same premium rate then the area should be divided equally as far as possible.

The Service Tax, if applicable need to be paid by the concerned beneficiary / State/UT Government as per the prevalent Rules.

2. Process for Insuring Animals

In order to generate confidence among the farmers about the efficacy of the 'Risk Management & Insurance' as component of sub-mission on innovation and extension of NLM, it is important that the policy cover should take effect once the basic formalities like identification of animal, its examination by the veterinary practitioner, assessment of its value and its tagging along with payment of the premium to the insurance company or its agent by the owner are completed. The selected insurance company will have to agree to this. However, it is possible that the selected Insurance Company may demand for the whole premium in advance so that the insurance cover can take effect immediately after the owner pays the beneficiary share. In order to take care of this problem, there

should be an arrangement by which the admissible percentage of the premium amount of the Central and State Share, of maximum number of animals that generally expected to be insured in a period of three month, is paid in advance to the insurance company by the CEO. The selected insurance company, on

its part, should issue instructions to their branches that as and when a share of the premium is paid by the owner, they should issue the policy with immediate effect. Target of getting the number of animals insured in one-month period for payment of advance to the Insurance Company should be on realistic basis and recouping of the advance fund should be on the basis of subsequent progress made by the concerned Insurance Company.

An animal shall be insured for its current market price. The market price of the animal to be insured will be assessed jointly by the beneficiary and the insurance company in the presence of the Veterinary officer. The minimum value of animal should be assessed by taking Rs.3000 per liter per day yield of milk or as per the price prevailing in the local market (declared by Government) for cow and Rs.4000 per liter per day yield of milk or as prevailing in the local market (declared by Government) for buffalo. The market price of pack animals (Horses, Donkey, Mules, Camels, Ponies and Cattle/Buff. Male) and Other livestock (Goat, Sheep, Pigs, Rabbit, Yak and Mithun) are to be assessed by negotiation jointly by the owner of the animal and by insurance company in the presence of a Veterinary Doctor. In case of dispute the price fixation would be settled by the Gram Panchayat / BDO.

The examination of the animal while issuing insurance policy is to be carried out by the veterinary practitioners registered with the Veterinary Council of India.

The animal insured to be properly tagged and uniquely identified at the time of insurance. The animal already tagged in other program need not be again tagged for this purpose and the existing Unique Identification (UID) of tag should be used for insurance as well. The ear tagging should be with 12-digit unique animal ID Number generated by NDDB. The Veterinary Practitioners may guide the beneficiaries about the need and importance of the tags fixed for settlement of their claim so that they take proper care for maintenance of the tags. While processing an insurance proposal, 2 photographs should be attached, out of which one photograph should be that of the animal with the Owner and the other photograph should be of the animal with its EAR TAG clearly visible.

In case of sale of the animal or otherwise transfer of animal from one owner to another, before expiry of the Insurance Policy, the authority of beneficiary for the remaining period of policy will have to be transferred to the new owner. The modalities for transfer of livestock policy and fees and sale deed etc required for transfer, should be decided while entering into contract with the insurance company.

3. Settlement of Claim

The method of settlement of claim should be very simple and expeditious to avoid unnecessary hardship to the insured. While entering into contract with the insurance company, the procedure to be adopted / farmers who has insured their animals. documents needed for settlement of claim should be clearly spelt out. Only four documents would be required by insurance companies for settling the claims viz. intimation with the Insurance Company, Insurance Policy paper, Claim Form and Postmortem Report. All documents/forms for insuring as well as settling the claims should be made available by the insurance agency in local language or in English language. In case the farmers' copy of the Insurance Policy paper is lost then the Insurance Company would immediately issue a duplicate Insurance Policy paper. In case of claim becoming due, the payment of the insured amount should be made within 15 days positively after submission of requisite documents. If an Insurance company fails to settle the claim

within 15 days of submission of documents, the insurance company will be liable to pay, a penalty of 12% compound interest per annum to the beneficiary. While insuring animal, CEOs must ensure that clear cut procedures are put in place for settlement of claims and the required documents are listed and the same is to be made available to concerned beneficiaries along with the policy documents. The beneficiary should get full payment of the sum insured in case of death of animals. In case, there are delays in settling a claim or the claim is rejected, it must be fully justified by the concerned insurance company to the claimant under intimation to the District Monitoring Committee and also to SIA. The provisions to these effects must be incorporated in the MOU with the insurance companies.

4. **Payment of Honourarium to the Veterinarian**: The Veterinarian will be eligible to get honorarium of Rs 50/- per animal at the stage of insuring the animal and Rs. 125/- per animal at the stage of conducting post-mortem and issuing post-mortem certificate in case of any insurance claim. The Central Government will provide the amount needed for payment of honorarium to the SIAs. The CEOs should ensure that payment is made to Veterinary Practitioners at the end of each quarter for the animal's insured and veterinary certificates issued by them in that quarter.

Note: Default in settlement of claim or any types of deficiency in services on part of Insurance Companies should immediately be brought to the notice of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) which is a nodal authority in the country in this regard with intimation to the District Monitoring Committee and DAHD, GoI.

Monitoring:

The DAHD will develop MIS system for maintaining data. The State Government will be advised for physical monitoring of beneficiaries. Monitoring will also be done through National Review Meeting, Regional and State Review Meeting.

APPENDIX- I

Indicative list of items eligible for funding under Rural Poultry Entrepreneurship (1000 POULTRY PARENT STOCK TO GET 500 HATCHING EGG PER DAY)

Sl. No.	PARTICULARS	Unit
1	Construction of shed (30 ft x 100 ft)	3000 sq.ft
2	Electric Brooder(1000 DOC/Brooder	2 no.
3	Chick Feeder (one feeder/60 Chicks)	18 no.
4	Chick Drinker (one drinker/60Chicks)	18no.
5	Adult Feeder (one feeder/60 Adult birds)	18 no.
6	Adult Drinker (one drinker/60 Adult birds)	18 no.
7	Cost of 1100 parents stock (1000 F + 100 M)	1100 nos.

HATCHERY FOR HATCHING 3000 HATCHING EGG / WEEK TO GET 2250 Day Old Chick (DOC)		
Sl. No.	PARTICULARS	Unit
1	Construction of Hatchery building (30' ft x 100 ft)	3000 sq.ft
2	Incubator of capacity 15000 eggs	1 no.
3	Hatcher capacity 5000 eggs	1no.
4	Generator set (15 KVA)	1 no.

MOTHER UNIT FOR BROODING 2000 CHICKS UPTO 4WEEKS		
Sl. No.	**PARTICULARS**	**Unit**
1	Construction of shed (20 ft X 50 ft) X 4 nos. for 8000 DOC	4000 sq.ft
2	Electric Brooder (1000 DOC/ Brooder)	6 nos.
3	Chicks Feeder (50 DOC/ Feeder)	160 nos.
4	Chicks Drinker (50 DOC/ Drinker)	160 nos.

APPENDIX -II

Indicative list of items eligible for funding under sheep and goat entrepreneurship for establishment of breeder goat farm of 500 females and 25maleSheep and Goat		
S. No.	**Particulars**	**Unit**
1	Construction of housing shed for parent stock (55 ft. x100ft)	5500 sq.ft
2	Kid shed & sick pen	3500 sq.ft
3	Cost of Doe	500 nos.
4	Cost of Buck	25 nos.
5	Transportation cost	525 nos.
6	Fodder cultivation	5 acre
7	Chaff cutter	2 nos.
8	Integrated silage making machine	1no.
9	Equipment	For 525 no. of animals
10	Insurance	For 525 of animals
11	Miscellaneous	As required

APPENDIX- III

Indicative list of items eligible for funding under piggery entrepreneurship (100 sow and 10 boar)		
S.No	**Particulars**	**Unit**
A	**Construction of Pig Sty**	
1	Construction of shed for Sow @20sqft per animal (for 100 animals)	2000 sq.ft
2	Construction for boar unit @ 20 sqft per animal	700 sq.ft
3	Farrowing pen @ 80 sq.ft per sow for 50 sows (considering 50% of pigs are allows in farrowing)	4000 sq.ft
4	Cost of construction of pens for piglets @10 sq. ft per piglet for 3000piglets	30000 sq.ft
5	Store room 500 sq.ft	500 sq.ft
B	**Cost for Piglets for breeding**	
1	Cost of 100 five months old gilt weighing about 50 kg	100 nos.
2	Cost of 10 six months old gilts weighing about 60 kg	10 nos.
C	**Other cost**	
1	Cost of Equipment	For 110 nos. of animals
2	Equipment for piglets	For 3000 nos.
3	Insurance charges (@7.5%)	For 110 nos.
4	Veterinary Aid	For 110 nos.
	Total (C)	
	Total Cost A+B+C	

APPENDIX- IV

Indicative list of components eligible for funding for silage making unit for entrepreneurs (Production capacity 2000-2400 MT per annum)

Sl. No.	Item
01	Construction of shed and godown (2000 square ft) @ 200per.sq.ft for material
02	Bailing Unit (120-150 mt) – one no.
03	Harvester one no.
04	Power operated chaff cutter one no.
05	Installation cost of plant and machinery
06	Shed for machinery storage (60'x50'x20')@200 per sq. ft
07	Tractor with Mounted Trolley- One number

Indicative list of components eligible for funding for fodder block making unit for entrepreneurship (30 MT/day)

Sl.No.	Item	Quantity
01	LD-HD Cutting with electric motor starter, panel board, V-belt, Pulleys etc. LD Low Density Materials (like paddy straws)	01 no.
02	HD-LD Mixer complete with Electric Motor, HD-High Density materials (concentrate Pre-mixes)	01 no.
03	Densified TMR block maker with electric motors starter, hydraulic oil, cooling system	02 no.
04	Platform electronic Weigh Scale	02 no.
05	Main control panel complete with tarter contractors, relays meter, conduits, and fittings, cable trays etc.	1 lot
06	Stitching machine double thread	02 sets
07	Molasses Storage tank (2 MT capacity) OH molasses tank (80 kgs) capacity	01 sets
08	Grinding section fitted with an elevator motor connecting piece of magnet. Bin for grindables in M.S. handle operated, Hammer mill half circle capacity 2 MT/ hr with sieve and complete with foundation fitted with motor and drive parts.	02 Sets
09	Mixing section fitted with ground material lifting elevator with discharge with motor and connecting piece of magnet Bin above batch mixture with discharge control. Paddle type batch mixture with MS construction fitted with motor.	01 set
10	Power supply (Gen set) 140 KVA	01 set
11	Shed for machinery (60'x50'x20') @ Rs. 200persq.ft	01 set

12	Shed for storing raw materials(60'x100'x20') @ Rs. 200 per sq. ft	01 set

APPENDIX- V

Government of India

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Department of Animal Husbandry & Dairying APPLICATION FORM

FOR ASSISTANCE UNDER DIFFERENT SUB MISSIONS OF NATIONAL LIVESTOCK MISSION (NLM)

		PHOTO
		Signature
S. No.	**Particulars**	
1.	Sub Mission under which assistance is required	
2.	Name of Beneficiary	
3.	Father's Name/Husband's Name	
4.	Mother's Name	
5.	Aadhaar Number	
6.	Mobile No.	
7.	Address	
8.	Category (General/SC/ST/OBC & others)	
9.	Educational Qualification	
10.	Experience in Livestock Farming	
11.	Whether attended any Livestock Farming related trainings (if yes, give details)	
12.	Annual Income from Agricultural/Business activities	
13.	Land Acquired/lease (in Acres)	
14.	No. of birds/ animals being maintained	
15.	Cost of project	
16.	Expected Output	
17.	Amount of subsidy	
18.	Whether subsidy for this purpose has been availed earlier?	
19.	GIS Location	
20.	Number of small farmers proposed to be integrated	
21.	Source of 50 % project cost (beneficiary share)	
	Bank Details	
20.	PAN No.	
21.	Bank Account Number	
22.	Name of Bank	
23.	Address of Bank Branch	
24.	IFSC Code of Bank	
25.	MICR Code of Bank	
26.	Any other relevant information	

(Signature of Applicant)

Enclosure:

- **Supporting documents [Proof of Address, Aadhar card, caste certificate (if applicable), proof of land holding (ownership or lease), education certificate, photocopies of training certificate, income proof, bank statement for last six months**
- **Detailed Project Report including total cost, recurring cost, net income etc**
- **Name, Aadhar no., mobile no. and address of the farmers linked/attached with the entrepreneur**
- **photograph of the project area**
- **Experience about any livestock farming activities done earlier**
- **Proof of remaining 50% project cost (beneficiary share)**
- **GI Tagging of the Project site**

Recommendation of State Implementing Agency

It is certified that I have personally inspected the above project site _____ _____proposed for funding under Entrepreneurship by Sh._____, resident of village_____, the applicant full fills all the necessary conditions for the release of subsidy and the same may be released to him. The photographs are attached herewith.

State-

Signature

APPENDIX -VI

Indicative List of Low-Input Technology birds eligible under National Livestock Mission implemented by the Department of Animal, Husbandry, Dairying & Fisheries, Government of India

Sl. No.	Name of the organization	Type of stock
	PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS	
1.	Central Poultry Development Organization and Training Institute (SR), Bangalore.	a) Chabro b) Kalinga brown c) Kaveri
2.	Central Poultry Development Organization(ER), Bhubaneswar.	Kalinga brown
3.	Central Poultry Development Organization(NR), Chandigarh	Chabro
4.	Central Poultry Development Organization (WR), Mumbai.	Kalinga brown (Kadaknath stocks are also available)
5.	Project Directorate on Poultry, ICAR, Hyderabad	a) Gramapriya b) Vanaraja
6.	Central Avian Research Institute, Izatnagar	a) CARI GOLD b) Nirbheek c) Hitcari d) Cari-Debendra e) Upcari
7.	Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, Bidar, Karnataka	a) Giriraja b) Girirani c) Swarnadhara
8.	Poultry Research Station, Nandnam, Chennai Tamil Nadu	Nandanam 99
9.	Kerala Veterinary University, Mannuthy	Gramalakshmi Gramashree Krishipriya
10.	Sri Venkateshwara Veterinary University, Rajendernagar, Hyderabad	Rajasri
	PRIVATE SECTOR ORGANIZATIONS	
1.	Dr. Yashvant Agritech Pvt. Ltd, Jalgaon, Maharashtra	Satpuda-desi
2.	Indbro Research and Breeding Farm Pvt. Ltd., Hyderabad	Rainbow rooster
3.	Kegg Farms, New Delhi	Kuroiler
4	Shipra Hatcheries, Patna, Bihar	Shipra

This list may be updated by this Department as and when required and updated list will also be put up on

the website of the Department http://dahd.nic.in

APPENDIX -VII

Performa Bank Guarantee

(From any scheduled commercial bank to be valid for three years)

This Deed of Guarantee executed on this _______day of___________, 20…. at by (from any scheduled commercial bank), having its Head Office / Registered Office at and inter-alia a Branch Office at_(hereinafter referred to as the Bank or 'the Guarantor', which expression shall unless it be repugnant to the subject or context hereof be deemed to include its successors and assigns).

In favour of Department of Animal Husbandry and Dairying Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (DAHD), Government of India, Kishi Bhawan New Delhi Bhawan, New Delhi-110001 (hereinafter referred as "DAHD")

WHEREAS

A. […...................], Individual/ Farmers Producer Organization, Joint Liability Group (JLG)/ Farmers Cooperative Organization/ Section 8 companies under --------------and having its Registered Office/ Home at [-------------] (herein after referred to as 'the Applicant" which expression unless repugnant to the subject or context includes its successors. Legal representatives and permitted assigns) and has been awarded approval under the above scheme vide Letter Reference ------------------------------------ dated…………..

B. In terms of the undertaking dated -------------- and Clause -------- of the Guidelines Reference No. --------dated, the Applicant has to provide a Bank Guarantee for an amount equivalent to INR which is calculated in line with the undertaking.

C. At the request of the Applicant, the Guarantor has agreed to provide this guarantee, being these presents, guaranteeing the due and punctual performance / discharge by the Applicant of its obligations.

NOW THEREFORE THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS

The Guarantor hereby irrevocably guarantees the due and compliance of terms by the Applicant of all its obligation under the said undertaking and approval letter, as amended from time to time.

A. The Guarantor shall, without demur, pay to DAHD sums not exceeding in aggregate --------------- (INR------------------) within five (5) bank working days (as per the Reserve Bank of India) of

receipt of a written demand thereof from DAHD stating that the Applicant has failed to meet its obligations under the said undertaking. The Guarantor shall have not to go into the veracity of any breach or failure on the part of the Applicant or validity of the demand so made by DAHD shall pay the amount specified in the demand notwithstanding any direction to the contrary given or any dispute whatsoever raised by the Applicant or any other person. The Guarantor's obligations hereunder shall subsist until all such demands are duly met and discharged in accordance with the provisions hereof;

B. The Guarantor agrees that its liability under this guarantee shall in no manner be affected by any such variation, alteration, modification, waiver dispensation and that no further consent of the Guarantor is required for giving effect to any such variation, altercation, modification, waiver dispensation with or release of security;

C. This Guarantee shall be irrevocable and shall remain in full force for three years from the date of issuance.

D. Until and unless discharged / released earlier by DAHD in accordance with the provisions of the said undertaking, the Guarantor 's liability in aggregate shall be limited to a sum of INR---------- ----- (INR)

E. This Guarantee shall not be affected by any change in the constitution or winding up of the Applicant / Guarantor or and absorption, merger or amalgamation of the Applicant / Guarantor with any other person;

F. The Guarantor has power to issue this Guarantee and discharge the obligations contemplated herein, and the undersigned is duly authorized to execute this Guarantee pursuant to the power granted under.

All future correspondence with reference to this Guarantee shall be made to.....

(Bank Na The jurisdiction in relation to this Guarantee shall be the Courts at New Delhi and Indian Law shall be applicable.

IN WITNESS WHEREOF THE GUARANTOR HAS SET ITS HANDS HEREUNTO ON THE DAY, MONTH AND YEAR FIRST HEREINABOVE WRITTEN

SIGNED AND DELIVERED by

Bank by the hand of it's……

and authorized official.

Name and Address).

APPENDIX- VIII

Performa for submission of Bank Guarantee

(Undertaking from the Applicant on the letterhead)

1. 1/ We,……., hereby, acknowledge that the back ended subsidy that would / may be provided to me/us under the Entrepreneurship programme under National Livestock Mission for establishment of …… at village……District……. in India, as per the Guidelines, communications, after relying upon, the information provided by us to avail the said subsidy.

2. We hereby confirm that the information provided by us for availing the said back ended is true, correct and complete in all respects and that no material fact / information that may have an adverse impact on the information provided by us for availing the said Incentive has been concealed.

3. We hereby confirm that the Committed Investment of the 25% of the project cost, as per the approval letter, is to be made by us within six months from our own fund the date of approval letter.

4. With regard to the aforesaid transactions, we hereby undertake the following:

We undertake to provide Bank Guarantee/s from a schedule commercial Bank for the amount which is mentioned below:

Sl.No.	Particulars	Details
1.	Date of issuance of Approval Letter	
2.	Validity period of BG *	
3.	Amount of BG	

* Valid for three years or renewed till the date DAHD release such Guaranteewhichever is later.

A. We understand and agree that, we are legally bound to renew the BG / issue fresh BG, failing which MoFPI / PMA may invoke the BG.

B. In case of loss, mutilation, force majeure or any other eventualities, with respect to Original BG (favouring DAHD), DAHD will not be liable for the same and the onus would be with us to arrange for alternate / duplicate BG in place of the original BG.

We also understand that the BG will be invoked or released as per the provision in the guidelines.

Date Signature

(Name& designation with address)

APPENDIX - IX

Performa for integrity compliance

(To be signed by full time Director / CEO / MD of the company/ Partner/ Proprietor of the firm duly depicting the designation and submitted on official stationery of the Applicant along- with the authorization to do so)

Format- A: Initial Undertaking

1. Whereas, the Applicant namely____________________________has submitted an Application under National Livestock Mission for establishment of the project................................ (Name of the project), seeking Subsidy for entrepreneurship development.

2. Now, therefore, the Applicant commits to observe the following principles during his / her association / engagement with DAHD with the process of appraisal and verification of Application for the approval of Application and disbursement of Subsidies under NLM Scheme.

The Applicant will not directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the DAHD's officer(s) or consultant or agency representative (appraisal or/and PMA appointed by DAHD to handle the Application) involved in the process of dealing with Application or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever before or during or after the process of the Application for grant of approval or disbursement of Subsidies under the scheme.

The Applicant will not commit any offence under the relevant Indian Penal Code, 1860/ Prevention of Corruption Act, 1988. Further, the Applicant will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the DAHD.

The Applicant will disclose any and all payments he/she has made, is Committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries, other than regular employees or officials of the Applicant, in connection with the grant of approval or/and disbursement of Subsidies.

The Applicant will not offer any illicit gratification to obtain unfair advantage.

The Applicant will not collude with other parties to impair transparency and fairness.

The Applicant will not give any advantage to anyone in exchange for unprofessional behaviour.

3. The Applicant agrees that if it is found that the Applicant has made any incorrect statement on this subject, the Application will be closed or rejected and DAHD reserve the right to initiate legal action of whatsoever nature. In case if DAHD has disbursed the Subsidies under NLM Scheme, the amount disbursed to Applicant be recoverable along with interest calculated at 3

years SBI MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually, besides blacklisting of the Applicant and initiation of legal action of whatsoever nature at the discretion of DAHD.

4. The contents of the above undertaking have been gone through and after understanding the same is being executed / given on……day of ..... (month / year)

Date *Signature*

(*Name in full & designation with address*)

APPENDIX -X

SURETY BOND (TO BE PROVIDED AS REGISTEREDBOND)

I / We, M/s._____, a beneficiary under National Livestock Mission located at address at_____(hereinafter called the "Obligers") are held fully and firmly bound to the President of India (hereinafter called the "Government") for the sum of Rs. _____/- (Rupees_____only) well and truly to be paid to the Government on demand and without a demur for which payment I/ we firmly bind myself/ ourselves and our successors and assignees by these presents.

SIGNED on the_____day of_____in the year Two Thousand……..

WHEREAS on the Obligers' request, the Government as per Sanction Order No._____Dated _____(hereinafter referred to as the "Letter of Sanction") through which back ended subsidy of Rs. _____/- (Rupees__only) for the purpose of setting up of project……under National Livestock Mission developed By M/s._____(description of the Entrepreneurs/ Eligible Entity) at_____, out of which the sum of "Rupees_____" have been paid to the Obligers (the receipt of which the Obligers do hereby admit and acknowledge) on condition of the Obligers executing a bond in the terms and manner contained hereinafter which the Obligers have agreed to do.

NOW the conditions of the above written obligation is such that if the Obligers duly fulfill and comply with all the conditions mentioned in the letter of sanction and the scheme guidelines. The Obligers will abide by the terms & conditions of the subsidy by the target dates, if any specified therein.

THAT the Obligers shall not divert the subsidy amount and entrust execution of the Project or work concerned to another institution(s) or organization(s).

THAT the Obligers shall abide by the clauses indicated in the scheme guidelines under which the above subsidy has been sanctioned and any other conditions specified in this agreement and in the event of their failing to comply with the conditions or committing breach of the guidelines/ bond, the Obligers individually and jointly will be liable to refund to the President of India, the entire amount of the subsidy with interest of 10% per annum thereon. If a part of the subsidy is left unadjusted/ unspent after the expiry of the period within which it is required to be spent, interest @10% per annum shall be charged upto the date of its refund to the Government, unless it is agreed to be carried over.

THAT the 'Obliger' is committed to run the project for which the back ended subsidy has been provide for a minimum period of three years and shall not demolish, close, change of propriety or sale out the equipment, machinery or any part of the project.

THAT the 'Obliger' shall intimate the Department of Animal Husbandry and Dairying and also the State Implementing Agency, in case of damage of the project in case of FORCE MAJEURE, for taking decision on the fate of the subsidy.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT the decision of the Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to the Government of India on the question whether there has been breach or violation of any of the terms or conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding upon the Obligers and;

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed as under on behalf of the Obligers the day herein above written in pursuance of the Resolution No._____Dated _____passed by the governing body of the Obligers (in case of the FPOs/ FCOs/JLGs/ SHG and Section 8 companies), a copy whereof is annexed hereto as Annexure-II and by _____for and on behalf of the President of India on the date appearing below:-

Signature of the AUTHORISED PERSON

Signed for and on behalf of

(Name of the Obliger in block letters)

(Seal / Stamp of Organization)

1. Signature of witness

Name & Address

_____

_____

_____

2. Signature of witness

Name & Address

_____

_____

APPENDIX- XI

INDICATIVE LISTS OF SUPLLIERS FOR VARIOUS INPUTS

I. INDICATIVE LIST OF LOW-INPUT TECHNOLOGY DAY OLD CHICK SUPPLIERS

Sl.	Type of stock	Name of the organization & contact details
1.	a) Chabro b) Kalinga brown c) Kaveri	Central Poultry Development Organization and Training Institute (SR), **Hesaraghatta, Bangalore – 560 088, Karnataka** e-mail: cpdoti@gmail.com 080-28466239/28466226/28466240
2.	Kalinga brown	Central Poultry Development Organization(ER), **Nayapalli (Near Jayadev Bihar), Bhubaneswar-751012**, **Odisha.** e-mail : - cpdo_er@rediffmail.com Phone :- 0674-2420175(O)
3.	Chabro	Central Poultry Development Organization(NR), Industrial area, Phase-I, Chandigarh – 160 002. e-mail: cpdonrchd@gmail.com Tel.: 0172-2655391/460
4.	a) Kalinga brown b) Kadaknath	Central Poultry Development Organization (WR), Aarey Milk Colony, Goregaon (East), Mumbai - 400 065 e-mail: cpdo_mum65@yahoo.com +91 22 29272497
5.	a) Gramapriya b) Vanaraja	**ICAR - Directorate of Poultry Research** **Rajendra nagar, Hyderabad 500 030, Telangana, India** Ph: +91-40-24018687 Email: dprhatchery@gmail.com
6.	a) CARI GOLD b) Nirbheek c) Hitcari d) Cari-Debendra e) Upcari	ICAR-Central Avian Research Institute *Bareilly, Izatnagar-2431 122* e-mail: *cari_director@rediffmail.com Tel.:581-2303223; 2300204*
7.	a) Giriraja b) Girirani c) Swarnadhara	Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, Nandinagar, Bidar- 585 401, Karnataka e-mail: regkvafsu@gmail.com Tel.: 08482-245241
8.	Nandanam 99	Poultry Research Station, Madhavaram Milk Colony, Chennai – 600 051. e-mail: ippm@tanuvas.org.in Tel.: 044-25552650
9.	a) Gramalakshmi b) Gramashree c) Krishipriya	Kerala Veterinary University, Mannuthy College of Avian Sciences & Management, Alanallur Via, Palakkad Thiruvazhamkunnu -678 601. pfso@kvasu.ac.in, casmt@kvasu.ac.in, acadcasmt@kvasu.ac.in 04924 208206, 8281028206
10.	Rajasri	Sri Venkateshwara Veterinary University, Rajendernagar, Hyderabad Department of Poultry Science, College of Veterinary Science, Tirupati – 517 502. e-mail: adcvsctpt@gmail.com, drshakilas@yahoo.co.in Tel.: 0877-2249932, 09440167225
11.	Satpuda-desi	Dr. Yashvant Agritech Pvt. Ltd, 265, Bhaskar Market, Jalgaon – 425001, Maharashtra e-mail: aditya344@gmail.com Mobile: **9423769495; 9423492238**
12.	Rainbow rooster	Indbro Research and Breeding Farm Pvt. Ltd., House No : 2-4-118/117, South Swaroop Nagar, Uppal, Hyderabad-500 039. e-mail: drkotaiah@indbropoultry.com; info@indbropoultry.com Tel.: 040 – 2721 5594; 040 – 2414 5594

13.	Kuroiler	Kegg Farms Private Ltd., 8th Floor, Eros Apartments, 56 Nehru Palace, New Delhi – 110019. e-mail: info@keggfarms.com mobile: 08448455564
14.	Shipra	Shipra Hatcheries, Flat No.6, Rizvi Building, Jamal Road, near kenara bank, Patna-800008, Bihar. Mobile: 09801765464

INDICATIVE LIST OF FARMS FOR GOAT GERMPLASM

Government Goat Breeding Farms

Name of the Farm	Breed
Kullenjra, Punjab	
Mattewara, Punjab	
Kolkapura, Punjab	
Kotulpur Goat cum Fodder Farm, Murakata, Kotaipur, Bankura	Goat (Black Bengal)
Goat Farm under WBLDC, Hainghata Farm, Mohanpur, Nadia-West Bengal	Goat (Black Bengal)
Dairy Goat Farm Rajbagh, Jammu	Beetal Goat 327
Goat breeding centre, Dhoni, Kerala	1. Malabari, 2. Attapatti Black, 3. Boer 4. Sirohi , 5. Beetal
Goat breeding centre, Puthur, Kerala	Malabari

Private Goat Breeding Farm

Name of the Farm	Breed
Raajdeep goat farm, vill - shivlalpur joshi - Bailpokhra (Ramnagar) Distt. Nainital	Barbari, Pantaza, Sirohi, Totapari, Local breads
Mohd Rashid, Star Goat Farm Vrindawan, Mathura, UP	Barbari goats
Ganesh Ram,VPO Dhodhsar ,distt Jaipur, Rajasthan	Sojat, Totapuri
Ajay Parihar, UTTRAKHAND ORGANIC GOAT FARM, Village Mujholi Tehsel Ranikhet ,Distric Almora, Uttrakhand	Sirohi
Sawai Singh, Village Narwa, dist. Jodhpur ,Rajasthan.	Sirohi
Bhagwan Singh Arya, bharatpur	Barbari
Krishna Kumar A N, Vistara Goat Farms , 158, Padmaupadya Layout, Nagadevanahalli, Kengeri, Mandya District, Bengaluru Karnataka.	Beetal
Deepak Patidar , Goatwala Farm, Village Sundrel, Tehsil Dharampuri , Distt. Dhar MP	Sirohi, Sojat , Barbari, Beetal
Sudhir Navnath Funde, Kamdhenu Agro Animals, Gat no 164 Waghud Post Dhanora Ta Malkapur Dist Buldhana Maharashtra	Osmanabadi

INDICATIVE LIST OF FARMS FOR SHEEP GERMPLASM

Government Sheep Breeding Farms

S. No.	Sheep/Goat breeding farms in Jammu division	Breed
1.	Govt. sheep breeding and research farm Reasi/Zaban, Jammu	Rambouillet sheep
2.	Govt. sheep breeding farm Panthal, Jammu	Rambouillet and Dorper sheep
3.	Govt. Sheep Breeding Farm Thathri, Jammu	Rambouillet sheep
4.	Govt. Sheep Breeding Farm Billawar/Sarthal, Jammu	Rambouillet sheep
5.	Govt. Sheep Breeding Farm Balnoi, Jammu	Rambouillet sheep
6.	Govt. Sheep Breeding Farm Chanderkote, Jammu	Rambouilletsheep
7.	Central Garole Sheep Project, State Livestock Farm, Kalyani, Nadia, West Bengal	Sheep (Garole)

Private Sheep Breeders having Sheep and Goat flocks in Jammu Division

S.No.	Sheep/Goat Breeders Name and Address	Breed
1.	Sh. Haji Nizam Din Khatana S/o Haji Mohd Zubair Surinsar/Birpur, Jammu (Summer HQ Sai Nallah/Warwan), Jammu	Cross Bred Rambouillet sheep and Kaghani Goats
2.	Sh. Haji Junaid S/o Haji Mohd Zubair, Surinsar/Birpur Jammu (Summer HQ Sai Nallah Warwan), Jammu	Cross Bred Rambouillet Sheep and Kaghani Goats
3.	Sh. Main Altaf Ahmed S/o Main Bashir Ahmed , Mehtka (Kalakote)/Lam (Nowshera)/Thandapani (Sunderbani) Rajouri (Summer HQ Kangan), Jammu	Cross Bred Rambouillet Sheep and Kaghani Goats
4.	Sh. Ishtiaq S/o Mohd Hussain, Diani, Samba (Summer HQ Kainthal/Kargil), Jammu	Cross Bred, Rambouillet Sheep and Kaghani Goats
5.	Sh. Mohd Sadiq khatana S/o Abdul Rashid Khatana , Ratnuchak, Samba (Summer HQ Sai Nallah/Warwan), Jammu	Cross Bred Rambouillet Sheep and Kaghani Goats
6.	Sh. Iqbal Phambra S/o Suba	Cross Bred Rambouillet Sheep and Kaghani Goats

INDICATIVE LIST OF FARMS FOR PIG GERMPLASM

Government Pig Breeding Farms

S.No.	Name of the Farm	Breed
1.	Chhaju-Majra-Mohali, Punjab	Large White Yorkshire
2	Nabha – Patiala, Punjab	Large White Yorkshire

3	Malwal – Ferozepur, Punjab	Large White Yorkshire
4	Sadda – Gurdaspur, Punjab	Large White Yorkshire
5	Kheowal – Hoshiarpur, Punjab	Large White Yorkshire
6	Pig Breeding Farm under WBLDC Hainghata Farm, Mohanpur, Nadia, West Bengal	Large White Yorkshire, Duroc, Landrace
7	Pig Breeding Farm under WBLDC, Mohitnagar, Jalpaiguri, West Bengal	Large White Yorkshire, Duroc, Landrace
8	Pig Breeding Centre, KLD Board, Ernakulam, Kerala	Large Whlte Yorkshire, 2. Landrace 3. Duroc , 4. LW Yorkshire x Landrace cross, 5. Landrace x Duroc cross, 6. LW Yorkshire x Duroc cross 7. Three way crosses

Private Pig Breeding Farms

S. No.	Name of the Farm
1.	Dhaliwal pig farm sangrur, Punjab
2	Harpreet singh Bathinda, Punjab
3	Jasvir Singh Sangrur, Punjab
4	Jagdeep Singh SAS Nagar, Punjab
5	Kunal Sharma, Diamond Swine breeders village Shankar Distt Jalandhar, Punjab
5.	Virender Singh @ Ghuman Pig Farm Dera Baba Nanak, Gurdaspur, Punjab
6.	Khullar Pig Farm, Muktsar Road , Ferozepur, Punjab
7.	Ranjit Pig Farm, Village Joner, Ferozepur, Punjab
8.	Noorpur Pig Farm, Village Noorpur, Sethan, FZR, Punjab
9.	Manjit Pig Farm, Village Maan Singhwala, Muktsar Sahib, Punjab
10.	Machhibagra Pig Farm, Village Machhibagra, FZR, Punjab
11.	Sulhani Pig Farm, Village Sulhani, FZR, Punjab
12.	Sandeep Pig Farm, Village Jaimalwala, FZR, Punjab
13.	Rakesh Pig Farm, Zira, FZR, Punjab
14.	Avtar Singh, Salapur Ropar, Punjab
15.	Shamlal, Mundi Kharar Mohali, Punjab
16.	Jasbir Singh , Sector -23 D CHD
17	Jashandeep Singh, Rajpura, Patiala, Punjab
18.	Amteshwar, Mohali, Punjab
19.	Karam Chand, Ropar, Punjab
20.	Darshan, Sialba Majri, Punjab
21.	Kultar Singh, Chand pur bela, Ropar, Punjab
22.	Anil, Derabesi, Mohali, Punjab
23.	Akashdeep Singh, Shekpur, Mohali, Punjab
24.	Deepak Soharta, Bojheri, Mohali, Punjab

Major Fodder seed producing agencies

Sl. No	Name
01	ICAR-Indian Grassland and Fodder research Institute, Jhansi, Uttar Pradesh

02	State Agriculture Universities (63 numbers)
03	National Seeds Corporation Limited
04	State Seeds Corporation Limited (13 nos.)
05	Krishi Vigyan Kendra (722 nos.)
06	Milk Unions/ Cooperatives (18 States)
07	Regional Fodder stations, Hissar, Chennai, Jammu and Kashmir, Hessarghata (Bangalore), Kalyani (West Bengal), Suratgarh (Rajasthan), Hyderabad,Dhamrood.
08	BAIF Limited
09	JK Trust. Thane Maharashtra

Note: The aforementioned lists are indicative and not an exhaustive one. The Department may, on request add the list. The procurement of materials/ inputs is at the buyer's responsibility

Government of India

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Department of Animal Husbandry and Dairying